रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003—20 REGISTERED No.- DL—(N) 04/0007/2003—20

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-30032020-218961
CG-DL-W-30032020-218961

साप्ताहिक/**WEEKLY**

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 28—अप्रैल 3, 2020 (चैत्र 8, 1942)
No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 28—APRIL 3, 2020 (CHAITRA 8, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

दिल्ली नागरी कला आयोग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 मार्च 2020

सं. 9(2)/2020-DUAC—दिल्ली नागरी कला आयोग, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973(1974 का 3) की धारा 9 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 27 के खंड (ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियमन बनाता है, अर्थात:—

भाग I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना: (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली नागरी कला आयोग कर्मचारी (समूह पेंशन स्कीम) विनियमन, 2020 है।

(2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं-(1) इन विनियमों में, संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:—

a. “अधिनियम” दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) से अभिप्रेत है;

b. “आयोग” दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 के अंतर्गत स्थापित दिल्ली नागरी कला आयोग से अभिप्रेत है;

c. “सक्षम प्राधिकारी” दिल्ली नागरी कला आयोग के सचिव या किसी अन्य प्राधिकारी से अभिप्रेत है जोकि इन विनियमों के प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा अभिहित किया जाए;

d. "अंशदान" आयोग द्वारा अपने धन से किसी कर्मचारी के व्यक्तिगत खाते में कोई राशि जमा करने से अभिप्रेत है किंतु इसमें ब्याज के रूप में जमा की गई कोई राशि सम्मिलित नहीं है;

e. "निगम" जीवन बीमा निगम अधिनियम,1956(1956 का 31) की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित, भारतीय जीवन बीमा निगम से अभिप्रेत है;

f. "परिलब्धियों" में मूल वेतन (मूलभूत या स्थानापन्न), स्थिरता वेतनवृद्धि, मँहगाई वेतन, मँहगाई भत्ता शामिल है किंतु विशेष भत्ता, कार्मिक वेतन, प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता और अन्य भत्ते तथा अनुफायदे सम्मिलित नहीं हैं जिन्हें (सेवानिवृत्ति के समय पर) अधिवर्षिता की गणना के लिए परिगणित नहीं किया जाता है और पद "औसत परिलब्धियाँ" पिछले दस महीनों के दौरान आहरित परिलब्धियों का औसत होंगी;

g. "कर्मचारियों" 1 जनवरी, 2004 से पहले इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत नियुक्त कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में दाखिल की गई ओ.ए. संख्या 1437/2009 का याची था और इसमें वह याची सम्मिलित है जिसकी सेवाएं आयोग द्वारा केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय को प्रदान की गई थीं;

h. "सदस्य" कर्मचारी या मृत कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी के संबंध में उसके आश्रित से अभिप्रेत है जो जिसे इन विनियमों के अधीन स्कीम में सदस्यता के लिए स्वीकृत किया गया है और ऐसे किसी व्यक्ति को उस समय तक सम्मिलित किया जाएगा जब तक वह इसके अंतर्गत लाभों के लिए स्वीकृत रहता है;

i. "स्कीम" विनियम 9 में यथापरिभाषित बीमा की स्कीम से अभिप्रेत है;

j. "न्यासियों का" विनियम 3 के अतंर्गत गठित दिल्ली नागरी कला आयोग के इस समय के न्यासियों का बोर्ड से अभिप्रेत है।

(2) यहाँ प्रयुक्त अन्य सभी शब्दों और पदों और जो इन विनियमों में परिभाषित नही हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, के अर्थ वही होंगे जो उनके अधिनियम में हैं।

3. न्यासियों का बोर्ड: (1) एक न्यासियों का बोर्ड होगा जो इस स्कीम से संबंधित किसी भी मामले में सदस्यों और आयोग के लिए और उनकी ओर से काम करेगा और न्यासियों द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य और किए गए अनुबंध सदस्यों और आयोग के लिए बाध्यकारी होंगे।

(2) न्यासियों का बोर्ड में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात:—

(क) आयोग द्वारा नामानिर्दिष्ट एक अध्यक्ष;

(ख) आयोग द्वारा समय-समय पर नामानिर्दिष्ट किए जाने वाले आयोग के दो प्रतिनिधि, जिनमें से एक आयोग का प्रशासनिक अधिकारी होगा; और

(ग) आयोग द्वारा सदस्यों में से नामानिर्दिष्ट किए जाने वाले कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि।

(3) आयोग का प्रशासनिक अधिकारी बैठकें बुलाएगा, उनके अभिलेख रखेगा, इन विनियमों के अनुसार खातों के अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और न्यासियों के निर्णयों का पालन करेगा।

(4) आयोग किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र से उत्पन्न आकस्मिक रिक्तियों को भरा जा सकेगा।

(5) अध्यक्ष के कार्यालय और अन्य न्यासियों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा, जो उस तारीख से आरंभ होगा जिस पर वे अध्यक्ष या न्यासियों, यथास्थिति, के रूप में नामानिर्दिष्ट किए जाते हैं।

(6) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामानिर्दिष्ट न्यासियों का उस न्यासियों का के कार्यकाल की शेष अवधि तक पद धारण करेगा जिसके स्थान पर उसे नामानिर्दिष्ट किया गया है।

(7) पद छोड़ने वाला न्यासियों का फिर से नामांकन का पात्र होगा।

4. पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम हो:

इस स्कीम के प्रयोजन के लिए किसी कर्मचारी या मृत कर्मचारी के मामले में उसके निकटतम संबंधी की पात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम और सभी संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

5. स्कीम से प्राप्त न्यायोचित ब्याज का अंतरण: किसी कर्मचारी के किसी भी समय सेवा छोड़ देने की स्थिति में, आयोग के पूर्व अनुमोदन से न्यासियों का, यदि कर्मचारी ऐसी इच्छा व्यक्त करता है, आयकर अधिनियम, 1961 की अनुसूची के भाग ख के अतंर्गत आयकर आयुक्त, जिसके पास ऐसे अंतरण को स्वीकार करने की शक्ति है और जिसका कोई कर्मचारी सदस्य हो सकता है, के पास रजीस्ट्रीकृत किए की जाने वाली अनुमोदित निधि में इस स्कीम में उसके न्यायोचित ब्याज के मूल्य के समान राशि का भुगतान करेंगे और ऐसे अंतरण के बारे में आयकर आयुक्त को सूचित करेंगे।

6. आयु का साक्ष्य: न्यासियों का किसी सदस्य को स्कीम में स्वीकार करने से पहले उसकी आयु के बारे में निगम को प्रमाणित करेंगे और यदि बाद में यह पाया जाता है कि सदस्य की आयु का असत्य ढंग से उल्लेख होना निर्णायक रूप से साबित हुआ है तो निगम अपनी सामान्य रीतियों के अनुसार लाभों में समुचित समायोजन करेगा।

7. सदस्य का न हटना: कोई भी सदस्य आयोग का कर्मचारी रहते हुए इस स्कीम से नहीं हटेगा।

भाग-II

अंशदान और बीमा स्कीम

8. अंशदान: (1) प्रत्येक पात्र सदस्य के संबंध में आयोग द्वारा बीमांकिक जाँच के पश्चात न्यासियों को एकबारगी एकमुश्त यथानिर्धारित अंशदान राशि का भुगतान किया जाएगा और न्यासी इसका भुगतान स्कीम के प्रयोजन के लिए निगम को करेंगे;

परंतु उन सदस्यों के मामले में जिनके खाते में इस स्कीम में प्रवेश के समय उनकी पिछली सेवा थी, बीमांकिक अन्वेषण द्वारा यथानिर्धारित पिछली सेवा से संबंधित अंशदान का आयोग द्वारा भुगतान किया जाएगा।

(2) इस स्कीम के प्रबंधन के खर्चे उप-विनियम (1) में उल्लिखित अंशदान के अतिरिक्त आयोग द्वारा देय होंगे और आयोग आयकर निर्धारण के प्रयोजन के लिए अपने व्यवसाय लाभों या हानियों की गणना में ऐसे खर्चों का कटौतीयोग्य खर्चों के रूप में दावा नहीं करेगा।

(3) आयोग द्वारा किसी कर्मचारी की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर या अल्पावधि के संविदा या विदेश सेवा के लिए किसी अन्य संगठन को उधार दिए जाने की स्थिति में, इस विनियम के प्रयोजन के लिए कर्मचारी की सेवा को जारी समझा जाएगा।

9. बीमा स्कीम: (1) सदस्यों को पेंशन प्रदान करने के प्रयोजन के लिए, न्यासियों की निगम के साथ एक बीमा स्कीम की शुरुआत करेंगे और निगम एक खाता अनुरक्षित करेगा जिसमें सभी सदस्यों के संबंध में न्यासियों द्वारा भुगतान किए गए अंशदानों को जमा किया जाएगा।

(2) निगम प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर निगम द्वारा अवधारित की गई दर पर मौजूदा अधिशेष पर ब्याज को खाते में जमा करने की अनुज्ञा देगा।

(3) जब किसी सदस्य की सेवानिवृत्ति पर या सेवा छोड़ने पर या उसकी मृत्यु की स्थिति में उसके लाभार्थी को पेंशन देय होती है तो निगम, न्यासियों की सलाह पर, इन विनियमों के अनुसार पेंशन के भुगतान की व्यवस्था के लिए सदस्य हेतु किसी राशि का विनियोजन करेगा:

परंतु जहाँ पेंशन का कोई भाग संराशिकृत (कम्यूट) किया जाना है तो संराशिकृत मूल्य एकमुश्त राशि में देय हो जाएगा, और इस मामले में केवल पेंशन का अधिशेष देय होगा;

पुन: परंतु यह और कि पेंशनरों के मामले में इन विनियमों के संबंध में, तदन्तर चाहे जिस भी कारण से मँहगाई वेतन में संशोधन, पेंशन के संराशिकृत भाग की बहाली या मूल पेंशन में वृद्धि के कारण से पेंशन में वृद्धि के लिए यथोचित राशि को चल खाते (रनिंग अकाउंट) से घटाया जाएगा।

(4) यदि निगम उन सदस्यों को अपनी ओर से राहत प्रदान करने के एकमात्र प्रयोजन से पेंशन की राशि बढ़ाने का निर्णय करता है जो पहले ही पेंशन आहरित कर रहे हैं तो ऐसे सदस्य या लाभार्थी ऐसी तारीख से और उस प्रकार से पेंशन में उपर्युक्त वृद्धि के पात्र होंगे जैसी आयोग द्वारा अनुज्ञा दी जाए।

खंड-III

फायदे और प्रचालन संबंधी मामले

10. अर्हक सेवा: किसी कर्मचारी की अर्हक सेवा उस तारीख से आरंभ होगी जबसे उसने उस पद का कार्यभार संभाला है जिसके लिए स्थायी क्षमता में पहली बार नियुक्त किया गया था:

परंतु निर्बाध पुष्टिकरण (कन्फर्मेशन) हो जाने के बाद अस्थायी सेवा भी अर्हता प्राप्त करे।

(2) किसी कर्मचारी की सेवा तब तक अर्हक नहीं होगी जब तक उसके दायित्व और वेतन आयोग द्वारा विनियमित न किए जाएं।

(3) सेवा की निम्नलिखित अवधियों की अर्हक सेवा के रूप में गणना की जाएगी, अर्थात्:—

i. 'दायित्व' के रूप में व्यवहृत दायित्व और अवधियाँ;

ii. छुट्टी वेतन के साथ सभी प्रकार की छुट्टियां;

iii. प्रतिनियुक्ति और विदेश सेवा;

iv. नागरिक विद्रोह के कारण से या उच्चतर तकनीकी और वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए ड्यूटी ग्रहण करने या फिर से ग्रहण करने में कर्मचारी की अक्षमता के कारण से चिकित्सा प्रमाणपत्र पर असाधारण छुट्टी और बिना चिकित्सा प्रमाणपत्र के असाधारण छुट्टी;

परंतु इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट शास्ति के बिना इस अवधि की स्वत: ही अर्हक सेवा के रूप में गणना की जाए;

v. समूह 'ग' और 'घ' कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किए जाने के तुरंत बाद नियुक्ति-पूर्व प्रशिक्षण;

vi. पुष्टिकरण के बाद परिवीक्षा पर सेवा;

vii. मामूली शास्ति के बाद निलंबन;

viii. बड़े शास्ति के बाद निलंबन;

ix. निलंबन सहित, यदि कोई हो, ड्यूटी से अनुपस्थिति, यदि पुनर्नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी आदेश दे कि इसकी गणना की जाएगी।

(4) निम्नलिखित अवधियों की अर्हक सेवा के रूप में गणना नहीं की जाएगी:—

i. अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले प्रदान की गई सेवा;

ii. 'डाइज़ नॉन' के रूप में व्यवहृत अप्राधिकृत अनुपस्थिति;

iii. छुट्टी वेतन के साथ छुट्टी के रूप में विनयमित न किए गए कार्यभार ग्रहण करने के समय के लिए अधिक अवधि तक छुट्टी पर रहना;

iv. उप-विनियम (3) के खण्ड (iv) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अलावा चिकित्सा प्रमाण-पत्र के बिना असाधारण छुट्टी;

v. बड़े शास्ति के बाद निलंबन, यदि पुनर्नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी यह आदेश न करे कि इसकी अर्हक सेवा के रूप में गणना की जाएगी।

(5) पेंशन के लिए अर्हक सेवा परिगणित की जाएगी और पूरी की गई छमाहियों में और तीन महीनों के बराबर अंशों (fractions) में व्यक्त की जाएगी और उपर्युक्त को एक छमाही माना जाएगा।

11. पेंशन की श्रेणियाँ—निम्नलिखित पेंशन उन कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य होगी जो सेवानिवृत्त होते हैं या दस वर्ष से अनधिक अर्हक सेवा के साथ सेवानिवृत्त किए जाते हैं, अर्थात्:—

क. अधिवर्षिता के बाद सेवानिवृत्ति पर अधिवर्षिता पेंशन;

ख. अधिवर्षिता से पहले स्वैच्छिक या समयपूर्व सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति पेंशन;

ग. सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे की सेवा के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद अविधिमान्य पेंशन;

घ. स्थायी पद के समाप्ति के कारण से पदमुक्त किए जाने के लिए चयन पर प्रतिकर पेंशन और समान स्थिति वाले वैकल्पिक रोजगार का प्रावधान संभव न हो, या निम्नतर पद का प्रस्ताव स्वीकार न किया गया हो;

ङ. दंडात्मक उपाय के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन;

परंतु ऐसी पेंशन अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख पर स्वीकार्य पेंशन की दो तिहाई से कम नहीं होगी न ही पूरी क्षतिपूर्ति पेंशन से अधिक होगी;

च. विशेष रूप से विचार किए जाने के सुपात्र होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा बर्खास्तगी या हटाए जाने, दंडित किए जाने पर अनुकंपा भत्ता;

परंतु राशि पेंशन की दो-तिहाई से अधिक न हो जो उसके लिए तब स्वीकार्य रही होती यदि वह प्रतिकर पेंशन पर सेवानिवृत्त हुआ होता।

12. पेंशन की दर—(1) कम-से-कम दस वर्षों की न्यूनतम अर्हक सेवा के साथ सेवानिवृत्त हो रहे या अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त कर्मचारी को पूरी पेंशन स्वीकार्य होगी।

(2) पेंशन की राशि पिछले दस महीनों की औसत परिलब्धियों का पचास प्रतिशत या सेवानिवृत्ति की तारीख को आहरित परिलब्धियों का पचास प्रतिशत होगी, जो भी ज्यादा फायदेप्रद हो।

(3) 1 जनवरी, 2006 और 31 दिसंबर, 2015 के बीच सेवानिवृत्ति या मृत्यु के मामले में, पेंशन या कुटुम्ब पेंशन की राशि न्यूनतम तीन हज़ार पाँच सौ रुपए प्रति माह के अधीन होगी और 1 जनवरी, 2016 के बाद सेवानिवृत्ति या मृत्यु के मामले में पेंशन या कुटुम्ब पेंशन की राशि न्यूनतम नौ हज़ार रुपए प्रति माह के अधीन होगी।

(4) पेंशन के सारे वर्गों के लिए (अनुकंपा भत्ते सहित), पेंशन अवधारणा की पद्यति एक जैसी होगी।

(5) अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन की राशि पूरी पेंशन की दो तिहाई से कम और इससे ज्यादा नहीं होगी।

(6) अनुकंपा भत्ते की राशि सामान्य पेंशन की दो तिहाई से अधिक नहीं होगी।

(7) जब भी पेंशनभोगी 80 वर्ष और अधिक की आयु प्राप्त कर लेता है तो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार पेंशन की अतिरिक्त राशि देय होगी:—

पेंशनभोगी की आयु (1)	पेंशन की अतिरिक्त प्रमात्रा (2)
80 वर्ष से लेकर 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 20%
85 वर्ष से लेकर 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 30%
90 वर्ष से लेकर 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 40%
95 वर्ष से लेकर 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 50%
100 वर्ष या अधिक	मूल पेंशन का 100%

(8) पेंशन की रकम रुपए की अगली उच्चतर राशि तक पूर्णांक में रखा जाएगा और महीने के हिस्से के लिए पेंशन के भुगतान, यदि रुपए के अंश में निकाला गया है, को भी रुपए की अगली उच्चतर राशि तक पूर्णांक में रखा जाएगा।

(9) मँहगाई राहत उन्हीं दरों पर बुढ़ापे के आधार पर पेंशन और अतिरिक्त पेंशन के लिए देय होगी जैसा मँहगाई भत्ता सेवारत कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य होता है।

13. कुटुम्ब पेंशन—(1) कुटुम्ब पेंशन सेवा में मृत्यु या सेवानिवृत्ति पर किसी कर्मचारी के निम्नलिखित कुटुम्ब को देय होगी, अर्थात्:—

i. विधवा अथवा विधुर, मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख तक, जो भी पहले हो;

ii. बेटा या बेटी (विधवा बेटी सहित), बेटे या बेटी के विवाह या पुनर्विवाह की तारीख तक या उसके द्वारा आय अर्जित करने की तारीख तक या पच्चीस वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो;

iii. अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा बेटी, जो उपर्युक्त खण्ड (**i**) और (**ii**) में शासित न हुई हो, विवाह या पुनर्विवाह की तारीख तक या उसके द्वारा आय अर्जित करने की तारीख तक या उसकी मृत्यु की तारीख तक, जो भी पहले हो**;**

iv. माता-पिता जो पूरी तरह से कर्मचारी पर आश्रित थे जब वह जीवित था, परंतु कर्मचारी अपने पीछे किसी विधवा या बालकों को न छोड़ गया हो;

परंतु आश्रित अभिभावकों, अविवाहित या तलाकशुदा या विधवा बेटी को कुटुम्ब पेंशन ऐसे आश्रित माता-पिता या अविवाहित या तलाकशुदा या विधवा बेटी की मृत्यु की तारीख तक जारी रहेगी।

(2) उप-विनियम (1) के खण्ड (iii) और (iv) में संदर्भित अविवाहित या तलाकशुदा या विधवा बेटियों और आश्रित माता-पिता को कुटुम्ब पेंशन केवल तभी देय होगी जब उपर्युक्त उप-विनियम के खण्ड (i) और (ii) में निर्दिष्ट कुटुम्ब के अन्य पात्र सदस्य कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने के पात्र न रह गए हों और कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई दिव्यांग बालक न हो।

(3) संबंधित संवर्गों में कुटुम्ब पेंशन प्रदानगी उनकी जन्म तिथि के क्रम में देय होगी और उनमें से सबसे युवा तब तक कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा जब तक उससे ठीक ऊपर की आयु वाला या वाली उस श्रेणी में कुटुम्ब पेंशन प्रदान किए जाने के लिए अपात्र न हो जाए।

(4) आश्रितता के लिए आय मानशास्ति न्यूनतम कुटुम्ब पेंशन और उस पर मँहगाई राहत होगा।

(5) आश्रित दिव्यांग सहोदर (भाई या बहिन) को उसी प्रकार से पेंशन प्रदान की जाएगी जैसा कि किसी विकार या अक्षमता से पीड़ित बेटे या बेटी के मामले में प्रदान की जाती है।

(6) मासिक कुटुम्ब पेंशन मृत्यु की तारीख या सेवानिवृत्ति की तारीख पर आहरित 'वेतन', यथास्थिति, के आधारित होगी और पिछले आहरित वेतन के तीस प्रतिशत की समान दर पर स्वीकार्य होगी, बशर्ते यह 1 जनवरी, 2006 और 31 दिसंबर, 2015 के बीच कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, न्यूनतम तीन हज़ार पाँच सौ रुपए प्रति माह और उसके बाद न्यूनतम नौ हज़ार रुपए प्रति माह हो।

(7) जब भी पेंशनभोगी 80 वर्ष और 100 वर्ष तक की आयु प्राप्त कर लेता है तो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कुटुम्ब पेंशन की अतिरिक्त राशि देय होगी:—

कुटुम्ब पेंशनभोगी की आयु (1)	कुटुम्ब पेंशन की अतिरिक्त प्रमात्रा (2)
80 वर्ष से लेकर 85 वर्ष से कम	मूल कुटुम्ब पेंशन का 20%
85 वर्ष से लेकर 90 वर्ष से कम	मूल कुटुम्ब पेंशन का 30%
90 वर्ष से लेकर 95 वर्ष से कम	मूल कुटुम्ब पेंशन का 40%
95 वर्ष से लेकर 100 वर्ष से कम	मूल कुटुम्ब पेंशन का 50%
100 वर्ष या अधिक	मूल कुटुम्ब पेंशन का 100%

(8) कुटुम्ब पेंशन की मासिक दर संपूर्ण रुपए में व्यक्त की जाएगी, रुपए के भाग रुपए की अगली उच्चतर राशि के पूर्णांक में लाया जाएगा और जहाँ कुटुम्ब पेंशन एक से अधिक सदस्यों को देय है, वहाँ रुपए के भाग वाला प्रत्येक हिस्सा रूपए की अगली उच्चतर राशि तक पूर्णांक में लाया जाना चाहिए।

(9) कुटुम्ब पेंशन उच्चतर दर पर स्वीकार्य होगी यदि मृत कर्मचारी ने कम-से-कम सात वर्ष की निरंतर सेवा की हो और यह कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के बाद वाली तारीख से देय होगी लेकिन कुटुम्ब पेंशन की यह उच्चतर दर आश्रित माता-पिता के लिए स्वीकार्य नहीं होगी जो केवल सामान्य दर के लिए पात्र होंगे।

(10) पेंशन की दरें निम्नलिखित होंगी—

(i) सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में, आहरित पिछले वेतन का पचास प्रतिशत कर्मचारी के कुटुम्ब को, बिना किसी ऊपरी आयु सीमा के, कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से दस वर्षों की अवधि के लिए देय;

(ii) सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु के मामले में, सेवानिवृत्ति के समय आहरित वेतन का पचास प्रतिशत सात वर्षों की अवधि तक या उस तारीख तक देय जिस पर कर्मचारी ने सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त की होती यदि वह जीवित रहा होता, जो भी कम हो या सेवानिवृत्ति पर अधिकृत पेंशन की राशि, जो भी कम हो।

(11) मँहगाई राहत उन्हीं दरों पर बुढ़ापे के आधार पर पेंशन और अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन के लिए देय होगी जैसा मँहगाई भत्ता सेवारत कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य होता है।

(12) पेंशन उन मामलों के अलावा, देय होगी जहाँ मृतक अपने पीछे निम्नलिखित को छोड़ जाता है—

(i) एक से अधिक विधवा; या

(ii) एक विधवा और पहले से ही मृत अन्य पत्नी के बालकों; या

(iii) जुड़वाँ बालक,

कुटुम्ब पेंशन एक समय में कुटुम्ब के एक ही सदस्य को देय होगी जो कि सबसे पहले जीवित विधवा या विधुरको उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह तक देय होगी, जो भी पहले हो, और इसके पश्चात, अपने जन्म के अनुसार एक एक करके पात्र बच्चों को, भले ही उनका लिंग कुछ भी हो और आश्रित माता-पिता के मामले में, यदि माता-पिता दोनों जीवित हैं तो पहले माता को और उसकी मृत्यु के बाद पिता को इसका भुगतान किया जाएगा।

(13) यदि कुटुम्ब पेंशन पाने वाले की मृत्यु हो जाती है तो कुटुम्ब पेंशन की बकाया राशि को प्राप्त करने का अधिकार स्वत: ही कुटुम्ब के अगले पात्र सदस्य के पास चला जाएगा।

(14) (क) जब एक से अधिक विधवा हों तो कुटुम्ब पेंशन की बराबर हिस्सों में अनुज्ञा होगी और एक विधवा की मृत्यु पर, उसका हिस्सा उसके पात्र बालक या बालकों को देय होगा और यदि ऐसी विधवा कोई पात्र बालक नहीं छोड़ जाती है तो पेंशन का उसका हिस्सा पूरी तरह से दूसरी विधवा को देय होगा।

(ख) जब मृतक अपने पीछे किसी विधवा और किसी मृत या तलाकशुदा पत्नी से कोई पात्र बालक भी छोड़ जाता है तो बालकों को कुटुम्ब पेंशन के उस हिस्से का भुगतान किया जाएगा जो उसकी माँ हासिल करती यदि वह जीवित होती या उसका तलाक न हुआ होता और बालकों को देय हिस्सा दिया जाना बंद होने पर, इसका भुगतान जीवित विधवा को किया जाएगा।

(ग) जुड़वाँ बच्चों के मामले में, कुटुम्ब पेंशन का भुगतान बराबर हिस्सों में किया जाएगा और यदि एक बालक पात्र नहीं रह जाते है तो उसके हिस्से का भुगतान दूसरे बालकों को किया जाएगा और दोनो बच्चों के पात्र न रह जाने पर, इसका भुगतान अगले पात्र बालकों को किया जाएगा।

14. वह अवधि जब तक कुटुम्ब पेंशन देय होगी.—(I) कुटुम्ब पेंशन निम्नलिखित को देय होगी—

(i) विधवा या विधुर, मृत्यु की तारीख समेत, पुनर्विवाह या मृत्यु तक, जो भी पहले हो;

(ii) अविवाहित पुत्र या पुत्री, विवाह की तारीख तक या पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख तक या उसके द्वारा मँहगाई राहत सहित न्यूनतम कुटुम्ब पेंशन अर्जित करना शुरु करने तक, जो भी पहले हो;

(iii) विकारों या मस्तिष्क की अक्षमता या जीवनपर्यन्त शारीरिक अशक्तता से पीड़ित भाई या बहिन, विवाह हो जाने तक या उसके द्वारा मँहगाई राहत सहित न्यूनतम कुटुम्ब पेंशन अर्जित करना शुरु करने तक;

(iv) अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा बेटी, जो भी पहले हो;

(v) आश्रित अभिभावक मृत्यु तक या उनके द्वारा मँहगाई राहत सहित न्यूनतम कुटुम्ब पेंशन अर्जित करना शुरु करने तक;

परंतु वे केवल संतानहीन विधवा की मृत्यु के बाद या तब ही पात्र होंगे जब उनकी स्वतंत्र आय निहित सीमा से अधिक हो जाए;

(vi) विवाह के बाद भी जीवन भर के लिए दिव्यांग पुत्र या पुत्री, मँहगाई राहत सहित न्यूनतम कुटुम्ब पेंशन अर्जित करना शुरु करने तक, जो भी पहले हो।

(2) यदि उप-विनियम (1) के खण्ड (iii) और (iv) के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने पर, कुटुम्ब पेंशन अन्य पात्र सदस्यों के अपात्र हो जाने के बाद फिर से आरंभ होगी।

(3) उप-विनियम (1) के खण्ड (ii) में सम्मिलित किए गए मामलों में, कुटुम्ब पेंशन का भुगतान उसे 18 वर्ष की आयु प्राप्त किए जाने तक संरक्षक के माध्यम से किया जाएगा और उसके बाद सीधे उसे किया जाएगा;

परंतु मस्तिष्क विकार या अक्षमता से ग्रस्त पुत्र या पुत्री के मामले मे, कुटुम्ब पेंशन का भुगतान पूर्णत: संरक्षक के माध्यम से किया जाएगा।

(4) उप-विनियम (1) के खण्ड (vi) में सम्मिलित किए गए मामलों में, सभी स्रोतों से प्राप्त उनकी स्वतंत्र आय के न्यूनतम निर्धारित कुटुम्ब पेंशन के बराबर या अधिक हो जाने पर कुटुम्ब पेंशन बंद हो जाएगी जो प्रत्येक छह माह पर अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के बारे में घोषणा न्यासियों को उपलब्ध कराने के अधीन होगी।

(5) (क) पति और पत्नी का न्यायिक अलगाव कुटुम्ब पेंशन के दावे को तब तक खत्म नहीं करता जब तक ऐसा उस जारकर्म के आधार पर न हो जिसमें जीवित पति-पत्नी को अपराधी ठहराया जाए।

(ख) यदि न्यायिक रूप से अलग हुए पति-पत्नी का कोई बालक हैं तो बालकों को उस जीवित पति-पत्नी के माध्यम से कुटुम्ब पेंशन का भुगतान किया जाएगा जो वास्तविक संरक्षक है, अन्यथा वास्तविक संरक्षक को भुगतान किया जाएगा।

(ग) बालकों के कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र न रह जाने पर, कुटुम्ब पेंशन का भुगतान मृत्यु या पुनर्विवाह तक, जो भी पहले हो, न्यायिक रूप से अलग हुए पति-पत्नी को किया जाएगा।

(6) कुटुम्ब पेंशन विधिक रूप से विवाहित पत्नी सहित अमान्य या एक पक्ष द्वारा निरस्त किए गए विवाह (void or voidable marriage) से मृत कर्मचारी या पेंशनभोगी के बच्चों के लिए स्वीकार्य होगी।

(7) यदि निलंबन के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो निलंबन की अवधि को वेतन और भत्तों के भुगतान सहित समस्त प्रयोजनों के लिए ड्यूटी के रूप में लिया जाएगा और सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में कुटुम्ब पेंशन कुटुम्ब के पात्र सदस्य के लिए देय होगी।

(8) (क) जब कुटुम्ब के पहले पात्र सदस्य पर संबंधित कर्मचारी या पेंशनभोगी की हत्या का या अपराध में साथ देने का आरोप लगा हो तो कुटुम्ब पेंशन उसके विरुद्ध की गई आपराधिक कार्यवाहियों के समापन तक निलंबित मानी जाएगी और कुटुम्ब पेंशन के अन्य पात्र सदस्य का दावा भी निलंबित रहेगा।

(ख) यदि, दाडिंक कार्यवाहियों के समापन पर, पहले पात्र व्यक्ति को दोषमुक्त किया जाता है तो कुटुम्ब पेंशन उसे प्रदान की जाएगी, अन्यथा उसे कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा और इसका कुटुम्ब के अगले पात्र सदस्य को भुगतान किया जाएगा।

15. कुटुम्ब पेंशन का भुगतान किया जाना जब कर्मचारी या पेंशनभोगी के ठिकाने का पता न हो:—(1) जब कोई कर्मचारी या पेंशनभोगी लापता हो जाए और उसके ठिकाने का पता न हो तो उसके कुटुम्ब को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की तारीख से छह महीनों बाद कुटुम्ब पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

(2) जब किसी कर्मचारी का विप्लवियों या आतंकवादियों द्वारा अपहरण कर लिया जाता है तो उसके कुटुम्ब को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की तारीख से छह महीनों बाद कुटुम्ब पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

(3) उन मामलों में जिनमें कपट आदि करने के बाद कर्मचारी लापता हो जाता है तो कुटुम्ब पेंशन न्यायालय द्वारा कर्मचारी को दोषमुक्त किए जाने पर ही या अनुशासनिक कार्यवाही पूरी हो जाने पर ही स्वीकृत की जाएगी।

(4) कुटुम्ब पेंशनभोगी के गुम हो जाने के संबंध में, कुटुम्ब पेंशन कुटुम्ब के अगले पात्र सदस्यों को प्रदान की जाएगी जो लापता हुए कर्मचारियों या पेंशनरों के लिए विहित शर्तों को पूरा करने के अधीन होगी।

(5) जब कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र कोई सदस्य उसको वास्तव कुटुम्ब पेंशन स्वीकृत किए जाने से पहले ही लापता हो जाता है तो कुटुम्ब पेंशन कुटुम्ब के अगले पात्र सदस्य को प्रदान की जाएगी जो लापता हुए कर्मचारियों या पेंशनरों के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन होगी।

16. स्वायत्त निकायों और पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों में स्थायी रूप से समाविष्ट किए गए कर्मचारियों के परिवारों को कुटुम्ब पेंशन—कर्मचारियों के कुटुम्ब इन विनियमों के अंतर्गत कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र होंगे जो इन शर्तों के अधीन होगा कि उचित प्रक्रिया का पालन किए जाने के बाद कर्मचारी को समाविष्ट किया गया।

17. कुटुम्ब पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद के पति-पत्नी या सेवानिवृत्ति के बाद जन्मे बच्चों के लिए स्वीकार्य होगी—कुटुम्ब पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद के पति-पत्नी और सेवानिवृत्ति के बाद जन्मे या गोद लिए गए बच्चों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

18. पेंशन का संराशिकरण, संराशिकरण का प्रभाव, पेंशन के कम्यूट किए गए हिस्से की बहाली आदि—(1) प्रत्येक पेंशनभोगी अपनी मासिक पेंशन के किसी प्रतिशत और अनुकंपा भत्ते के किसी प्रतिशत को एकमुश्त भुगतान के लिए संराशिकृत (कम्यूट) कराने का पात्र होगा जो पेंशन की उस प्रतिशतता का कम्यूट किया गया मूल्य है;

परंतु कोई कर्मचारी या पेंशनभोगी जिसके विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियाँ लंबित हैं, अपनी पेंशन का कोई प्रतिशत ऐसी कार्यवाहियाँ पूरी होने तक संराशिकृत (कम्यूट) कराने का पात्र नहीं है।

(2) चिकित्सा जाँच के बिना संराशिकरण (कम्यूटेशन) व्यक्तियों की पेंशन के चालीस प्रतिशत तक निम्नलिखित प्रकारों(अनंतिम पेंशन सहित) की पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के अनुमत्य होगी, यदि वे निम्नलिखित से गणना करते हुए एक वर्ष की समाप्ति से पहले संराशिकरण (कम्यूटेशन) के लिए आवेदन करें—

(i) अधिवर्षिता पेंशन, सेवानिवृत्ति पेंशन, प्रतिकर पेंशन के मामले में सेवानिवृत्ति की तारीख; और

(ii) विभागीय या न्यायिक कार्यवाही को अंतिम रूप दिए जाने और उन पर अंतिम आदेश जारी करने पर प्रदान की गई पेंशन के मामले में अंतिम आदेश जारी होने की तारीख।

(3) निम्नलिखित प्रवर्गों के पेंशनभोगी चिकित्सीय रूप से अपनी जाँच किए जाने और उचित चिकित्सा अधिकारी द्वारा ठीक घोषित किए जाने के बाद ही अपनी पेंशन के एक हिस्से को संराशिकृत(कम्यूट) कर सकते हैं अर्थात:—

(I) अविधिमान्यकरण पर सेवानिवृत्त;

(ii) शास्ति के एक उपाय के रूप में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त;

(iii) क्षतिपूर्ति भत्ता प्राप्त करने वाले; और

(Iv) सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष बाद संराशिकरण के लिए आवेदन करने वाले सारे पेंशनभोगी।

(4) अविधिमान्य पेंशन के संराशिकरण के प्रयोजनों के लिए और पेंशन के संराशिकरण के लिए दूससी चिकित्सा जाँच के सभी मामलों में निम्नलिखित सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी होगा—

(i) चिकित्सा अधिकारी जो किसी सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा अधिकारी के पद से कम का न हो;

(ii) चिकित्सा बोर्ड।

(5) चिकित्सा जाँच पर संराशिकरण के लिए आवेदन की वापसी चिकित्सा जाँच से पहले और चिकित्सा जाँच के बाद स्वीकार्य होगी, यदि पेंशनभोगी इसकी प्राप्ति के चौदह दिनों के भीतर, चिकित्सा जाँच में निर्देशित वास्तविक आयु में वृद्धि को स्वीकार करने से इंकार करता है;

परंतु संराशिकरण के आवेदन पत्र को वापस लिया हुआ माना जाए यदि पेंशनभोगी चिकित्सा जाँच कराने में विफल रहता है।

(6) संराशिकरण संपूर्ण हो जाती है और पेंशन का कम्यूट किया गया मूल्य निम्नलिखित तारीख को देय हो जाता है—

(i) उस मामले में सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद जहाँ अधिवर्षिता पेंशन के संराशिकरण के लिए आवेदनपत्र सचिव, दिल्ली नागरी कला आयोग द्वारा अधिवर्षिता की तारीख को या से पहले प्राप्त किया जाता है;

(ii) उप-विनियम में निर्दिष्ट मामलों में किए गए उल्लेख के अनुसार एक वर्ष की समाप्ति से पहले चिकित्सा जाँच के बिना पेंशन के संराशिकरण के लिए आवेदन को सचिव, दिल्ली नागरी कला आयोग द्वारा प्राप्त किए जाने पर (2);

(iii) जिस पर चिकित्सा प्राधिकारी संराशिकरण के लिए चिकित्सा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करता है;

(iv) जिस पर पहले चिकित्सा प्राधिकारी ने अपनी राय अभिलिखित की थी जब इसके निर्णय को अपील पर निरस्त या संशोधित कर दिया गया था।

(7) पेंशन का संराशिकृत किया गया मूल्य निम्नलिखित फार्मूले पर परिगणित किया जाएगा:—

एकमुश्त देय = संराशिकरण के लिए प्रस्थापना की गई पेंशन X 12 X संराशिकरण फैक्टर और कम्यूट किया गया मूल्य रुपए की अगली उच्चतर राशि तक पूर्णांक में रखा जाएगा।

(8) नीचे दी गई सारणी पेंशनभोगी के अगले जन्मदिन पर उसकी आयु के संबंध में संराशिकरण फैक्टर प्रदान करती है:—

संराशिकरण सारणी (2-9-2008 से प्रवृत)

आयु अगला जन्मदिन	वर्ष की संख्या की खरीद के रूप में व्यक्त किया गया रूपांतरण मूल्य (संराशिकरण मूल्य)	आयु अगला जन्मदिन	वर्ष की संख्या की खरीद के रूप में व्यक्त किया गया रूपांतरण मूल्य (संराशिकरण मूल्य)	आयु अगला जन्मदिन	वर्ष की संख्या की खरीद के रूप में व्यक्त किया गया रूपांतरण मूल्य (संराशिकरण मूल्य)
29	9.176	47	8.943	65	7.731
30	9.173	48	8.913	66	7.591
31	9.169	49	8.881	67	7.431
32	9.164	50	8.846	68	7.262
33	9.159	51	8.808	69	7.083
34	9.152	52	8.768	70	6.897
35	9.145	53	8.724	71	6.703
36	9.136	54	8.678	72	6.502
37	9.126	55	8.627	73	6.296
38	9.116	56	8.572	74	6.085
39	9.103	57	8.512	75	5.872
40	9.090	58	8.446	76	5.657
41	9.075	59	8.371	77	5.443
42	9.059	60	8.287	78	5.229
43	9.040	61	8.194	79	5.018
44	9.019	62	8.093	80	4.812
45	8.996	63	7.982	81	4.611
46	8.971	64	7.862		

(9) संराशिकरण पर पेंशन की राशि की कटौती पेंशनभोगी द्वारा कम्यूट किए गए मूल्य की प्राप्ति की तारीख से या भुगतान के लिए प्राधिकार जारी करने के बाद तीन महीनों की समाप्ति, जो भी पहले हो, पर प्रभावी होगी।

(10) अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति होने वाले और सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले संराशिकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए, संराशिकृत किया गया मूल्य सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन से देय हो जाता है और पेंशन में कटौती उसी तारीख से प्रभावी हो जाती है,

जहाँ पर, संराशिकृत किए गए मूल्य का भुगतान सेवानिवृत्ति के पहले महीने के भीतर नहीं किया जाता है तो सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद के दिन और कम्यूट किए गए मूल्य को भुगतान किया गया माने जाने की तारीख से पहले की तारीख के बीच की अवधि का अंतर आयोग द्वारा अधिकृत किया जाएगा।

(11) आवेदक द्वारा संराशिकृत किए गए मूल्य को प्राप्त करने से पहले उसकी मृत्यु की दशा में संराशिकृत किए गए मूल्य को हासिल करने का अधिकार रखने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को प्रदान करने के लिए इस प्रयोजन के लिए न्यासियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नामांकन आवेदन के साथ भेजा जाएगा।

(12) पेंशन के संराशिकृत किए गए भाग को सेवानिवृत्ति की तारीख से पंद्रह वर्षों की समाप्ति पर बहाल किया जाएगा, यदि संराशिकरण की राशि सेवानिवृत्ति के पहले माह में प्राप्त होती है और अन्य मामलों में, पेंशन का संराशिकृत किया गया हिस्सा पेंशनभोगी द्वारा न्यासियों को इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर संराशिकरण राशि की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह वर्षों बाद बहाल किया जाएगा।

भाग-IV

प्रकीर्ण

19. अधिशेष खाता: इन विनियमों के अधीन न्यासियों द्वारा जब्त की गई राशि को एक अलग खाते में जमा कराया जाएगा। जिसे 'अधिशेष खाता (surplus account)' कहा जाता है और इसका आयकर नियम 1962 के नियम 85 के अनुसार निवेश के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाएगा।

20. आयकर प्राधिकारियों के लिए देय राशियों की कटौती.—(1) किसी भी मामले में जहाँ इस स्कीम के अंतर्गत देय किन्हीं भुगतानों पर आयकर के लिए आयकर प्राधिकारियों को विवरण देने के लिए निगम उत्तरदायी है, न्यासियों का या निगम, यथास्थिति, ऐसे भुगतान से कर के बराबर राशि की कटौती करेंगे और वे इस प्रकार कटौती की गई राशि के लिए सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होंगे।

(2) यदि किसी कारण से इस स्कीम को आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाना बंद कर दिया जाता है तो जहाँ तक आयकर अधिनियम 1961 की चौथी अनुसूची के भाग ख के उपबंधो के अंतर्गत आयकर आयुक्त द्वारा इस स्कीम को अनुमोदित किया जाना बंद करने से पहले किए गए अंशदान द्वारा हासिल किए गए लाभों का संबंध है, न्यासियों का इस स्कीम से भुगतान किए गए लाभों पर कर के लिए उत्तरदायी बने रहेंगे।

21. जब आयोग की आय माना जाए, तो आयोग द्वारा अंशदान:—

जहाँ आयोग द्वारा किए गए किसी अंशदान (उस पर ब्याज सहित, यदि हो) का आयोग को पुनर्भुगतान किया जाता है तो इस प्रकार पुनर्भुगतान की गई राशि को आयकर के प्रयोजन से आयोग की पिछले वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें इसका पुनर्भुगतान किया गया।

22. फायदाग्राही की नियुक्ति—(1) कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में कुटुम्ब पेंशन हासिल करने के लिए कर्मचारी का फायदाग्राही निकटतम संबंधी होगा जैसा कि इन विनियमों में निर्धारित किया गया है।

(2) यदि सेवा के दौरान या पेंशन आहरित करने से पहले या पेंशन आहरित करना आरंभ करने के बाद लेकिन उसके द्वारा चुने गए पेंशन विकल्प के अंतर्गत समस्त गारंटेड किश्तें हासिल करने से पहले, कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो न्यासियों का इन विनियमों के अनुसार लाभार्थी या लाभार्थियों को भुगतान के लिए कर्मचारी के संबंध में लाभों को प्रतिधारित करेंगे।

(3) इन विनियमों के अंतर्गत की जाने वाली प्रत्येक नियुक्ति लिखित रूप में होगी जिसपर सदस्य या संरक्षक, यथास्थिति, के हस्ताक्षर होंगे और दो साक्षियों द्वारा साक्ष्यांकित किया जाएगा तथा ये सदस्य की मृत्यु तक पूरी तरह से लागू और प्रभावी होंगे।

(4) यदि सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति के समय फायदाग्राही अल्पवयस्क है या न्यासियों को कानूनी रसीद देने या निर्मुक्त करने के लिए अन्यथा अक्षम है तो सदस्य ऐसी नियुक्ति के समय, एक ऐसे व्यक्ति को नामानिर्दिष्ट करेगा जो वयस्क हो और न्यासियों को कानूनी रसीद या निर्मुक्त देने में सक्षम हो और जिसको फायदाग्राही के लिए और की ओर से तब तक लाभों का भुगतान किया जाना है जब तक ऐसी अल्पवयस्कता या अक्षमता जारी रहती है।

23. विनियमों का निर्वचन: (1) यदि इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में किसी भी बिंदु या सदस्यता की समाप्ति से संबंधित किसी बिंदु पर कोई प्रश्न उठता है तो उस पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(2) यदि इस निर्णय का आयकर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग ख या आयकर अधिनियम विनियमन, 1962 के उपाबंधो पर कोई प्रभाव डालता है तो इसे आगे से आयकर आयुक्त को सूचित किया जाएगा और यदि आयकर आयुक्त अपेक्षा करे तो आयोग इस निर्णय की समीक्षा करेगा और यह अंतिम होगा।

रुबी कौशल
सचिव

दिनांक 17 मार्च 2020

No. 9(1)/2020-DUAC.—दिल्ली नागरी कला आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 9 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 27 के खंड (ग) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियमन बनाता है, अर्थात:—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली नागरी कला आयोग कर्मचारी भविष्य निधि विनियमन, 2020 है।

(2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—(1) इन विनियमों में, संदर्भ में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "अधिनियम" दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) से अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" विनियम 4 के अंतर्गत अधीन न्यासी बोर्ड से अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से आयोग के अध्यक्ष से अभिप्रेत है;

(घ) "बालकों" विधिमान्य बालकों से अभिप्रेत है और इसमें दत्तक ग्रहीता लिए गए बालकों में शामिल हैं यदि बोर्ड समाधान है कि सदस्य के संवीय विधि के अंतर्गत, बालकों के दत्तक ग्रहीता लेना विधिक रूप से मान्य है;

(ड़) "निरंतर सेवा" आयोग के अंतर्गत निर्बाध सेवा से अभिप्रेत है और इसमें वह सेवा शामिल है जो बीमारी, दुर्घटना, अधिकृत छुट्टी या कार्य के रोके जाने से बाधित हो जो सदस्य की ग़लती के कारण न हो;

परन्तुक किसी विवाद या राय के बारे में भिन्नता के मामले में कि क्या एक विशेष सेवा को निरंतर सेवा की अवधि माना जाए, उस पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा;

(च) "आयोग" अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित दिल्ली नागरी कला आयोग से अभिप्रेत है;

(छ) "परिलब्धियों" वेतन से अभिप्रेत है और इसमें मँहगाई वेतन, विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन, छुट्टी वेतन और गुज़ारा भत्ता शामिल है;

(ज) "कर्मचारी" 1 जनवरी, 2004 से पहले इस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) ने नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति से अभिप्रेत है जो माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में दाखिल ओ.ए. संख्या 1437/2009 में एक याची था;

(झ) "कुटुम्ब' से अभिप्रेत है:—

(क) पुरुष सदस्य के मामले में उसकी पत्नी, उसके बालकों चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता और उसके मृत पुत्रों की विधवा और बालकों;

परन्तु यदि सदस्य इस बात को साबित कर देता है कि उसको प्रशासित करने वाले संवीय विधि या समुदाय के प्रचलित विधि के अंतर्गत, उसकी पत्नी अब अनुरक्षण के लिए पात्र नहीं रह गई है तो उसे इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए अब सदस्य के कुटुम्ब के हिस्से के रूप में तब तक नहीं देखा जाएगा जब तक सदस्य बाद में लिखित रूप में स्पष्ट नोटिस द्वारा बोर्ड को यह सूचित नहीं कर देता कि उसे उसी प्रकार समझा जाता रहे; और

(ख) महिला सदस्य के मामले में, उसका पति, उसके बालकों, चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता और उसके पति के आश्रित माता-पिता और उसके मृत पुत्रों की विधवा और बालक;

परन्तु महिला सदस्य बोर्ड को लिखित रूप में नोटिस द्वारा यह इच्छा व्याक्त करे कि उसके पति को कुटुम्ब में शामिल न किया जाए तो पति और उसके आश्रित माता-पिता को इन विनियमों के प्रयोजनों से तब तक सदस्य के कुटुम्ब् का भाग नहीं माना जाएगा जब तक सदस्य ऐसे नोटिस को लिखित रूप में, बाद में रद्द न कर दे।

स्पष्टीकरण—उप-खंड (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिए, यदि किसी सदस्य का बालक या, यथास्थिति, सदस्य के किसी मृत सदस्य का बालक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दत्तक ग्रहीता लिया जाता है और यदि, दत्तक ग्रहीता के संवीय विधि के अतंर्गत, दत्तीक ग्रहीता लिया जाना विधिक रूप से मान्य है तो ऐसे बालकों को ऐसे सदस्य के कुटुम्ब से अलग हुआ माना जाएगा;

(ञ) "वित्तीय वर्ष" अप्रैल के पहले दिन को आरंभ होने वाले वर्ष से अभिप्रेत है;

(ट) "विदेश सेवा" आयोग में प्रतिनियुक्ति पर सेवा या आयोग की स्वीकृति से अन्य नियोक्ता के पास सेवा से अभिप्रेत है;

(ठ) "निधि" विनियम 3 के अंतर्गत स्थापित दिल्ली नागरी कला आयोग कर्मचारी भविष्य निधि से अभिप्रेत है;

(ड) "सदस्य" निधि के सदस्य से अभिप्रेत है।

(2) यहाँ प्रयुक्त अन्य सभी शब्दों और पदों और जो इन विनियमों में परिभाषित नही हैं किन्तुक अधिनियम में परिभाषित किया गया है, के अर्थ वही होंगे जो उनके अधिनियम में हैं।

3. निधि का गठन—(1) दिल्ली नागरी कला आयोग कर्मचारी भविष्य निधि नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा।

(2) दिल्ली नागरी कला आयोग कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1980 के अंतर्गत स्थापित निधि के लिए किसी उस कर्मचारी द्वारा अंशदान जो निधि का सदस्य हो जाने का विकल्प चुनता है, निधि में स्थानांतरित किया जाएगा और उपर्युक्त विनियमों के अंतर्गत किए गए नियोक्ता के अंशदान को आयोग को प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

4. न्यासी बोर्ड—(1) यह निधि निम्नलिखित व्यक्तियों से युक्त न्यासी बोर्ड में निहित होगी और उसके द्वारा प्रशासित की जाएगी, अर्थात:—

(क) आयोग द्वारा नाम निर्दिष्टि एक अध्यक्ष;

(ख) आयोग द्वारा समय-समय पर नाम निर्दिष्टष किए जाने वाले आयोग के दो प्रतिनिधि, जिनमें से एक आयोग का प्रशासनिक अधिकारी होगा; और

(ग) आयोग द्वारा सदस्यों में से नाम निर्दिष्टग किए जाने वाले कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि।

(2) आयोग का प्रशासनिक अधिकारी बैठकें बुलाएगा, उनके अभिलेख रखेगा, इन विनियमों के अनुसार खातों के अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और बोर्ड के निर्णयों का पालन करेगा।

(3) आयोग किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र से उत्पन्न आकस्मिक रिक्तियों को भर सकेगा ।

5. कार्य की अवधि—(1) बोर्ड के अध्यक्ष के कार्यालय और अन्य न्यासियों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा, जो उस तारीख से आरंभ होगा जिस पर वे अध्यक्ष या न्यासियों, यथास्थिति, के रूप में नाम निर्दिष्टे किए जाते हैं।

(2) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नाम निर्दिष्टि न्यासी उस न्यासी के कार्यकाल की शेष अवधि तक पद धारण करेगा जिसके स्थान पर उसे नाम निर्दिष्टा किया गया है।

(3) पद छोड़ने वाला न्यासी फिर से नामांकन का पात्र होगा।

6. निधि की आस्तियां—निधि में निम्नलिखित शामिल होगा—

(i) सदस्यों के अंशदान;

(ii) किसी अन्य भविष्य निधि से स्थानांतरित बकाया राशि जहाँ ऐसे हस्तांतरण करने की इन विनियमों के अंतर्गत अनुज्ञेय हो;

(iii) ब्याज या पूँजी अभिलाभ जो योगदान और अंशदान और निवेश या बैंक जमा राशियों से प्राप्त होता हो;

(iv) इन विनियमों के अंतर्गत निधि में जो राशि विनियोजित या समहृत (कुर्क) की गई हो।

7. बोर्ड की बैठक—(1) बोर्ड की बैठक में अध्यक्ष साधारण तया अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में, न्यासी बैठक की अध्यक्षता के लिए अपने सदस्यों में से किसी एक को चुनेंगे और इस प्रकार चुने गए व्यक्ति को अध्यक्ष के सारे अधिकार प्राप्त होंगे।

(2) बोर्ड की बैठक में कोई कार्यवाही नहीं होगी जब तक कम-से-कम तीन न्यासी मौजूद न हों जिनमें से कम-से-कम एक विनियम 4 के उपखंड (ख) और (ग)-प्रत्येक के अंतर्गत नाम निर्दिष्टह सदस्यों में से एक होगा।

(3) बोर्ड की बैठक में विचार किए गए प्रत्येक प्रश्न पर उपस्थित और मत देने वाले न्यासियों के बहुमत द्वारा निर्णय किया जाएगा और मतों की समानता की स्थिति में, अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।

8. बैंककारी और निधि की राशि को निवेश—(1) निधि खाते पर प्राप्त समस्त राशि और जो निवेश के लिए अपेक्षित नहीं है, भारतीय स्टेट बैंक या बोर्ड द्वारा अवधारित किसी अनुसूचित बैंक में जमा कराई जाएगी।

(2) निधि से बाध्यूता के मासिक अंशदान के संचय से प्राप्त समस्त राशि जो ऋणों या निकासी के रूप में सदस्यों को और सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों को किसी किस्म का भुगतान करने के लिए तत्काल अपेक्षित न हो, का निवेश केन्द्री य सरकार और राज्य सरकार की अनुमोदित प्रतिभूतियों में किया जाएगा।

(3) निधि के प्रशासन और निवेशों से होने वाले घाटों, यदि कोई हों, के संबंध में सभी प्रभारों पर हुए सारे खर्चों को निधि से प्रभारित किया जाएगा।

(4) निधि के खातों की आयोग के खातों की लेखापरीक्षा करने वाले प्राधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी।

9. निधि की सदस्यता—प्रत्येक कर्मचारी जो इन विनियमों के अंतर्गत सदस्य होने का विकल्प चुनता है, उस तारीख से नब्बे दिनों के भीतर निधि का सदस्य होने का पात्र होगा जिस तारीख को ये विनियम प्रवृत होते हैं।

10. सदस्य का अंशदान—(1) प्रत्येक सदस्य ड्यूटी पर होते हुए निधि में मासिक रूप से अंशदान देगा।

(2) अंशदान की राशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वयं सदस्य द्वारा वित्तीय वर्ष के आरंभ में अवधारित की जाएगी, अर्थात:-

(क) इसे संपूर्ण रुपए में व्यक्त किया जाएगा;

(ख) यह किसी दर पर अभिव्यक्त कोई ऐसी राशि हो सकती है जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा तय की गई राशि से कम न हो;

(ग) खंड (ख) के उपबंधो के अधीन, कोई सदस्य किसी वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय एक बार संपूर्ण रुपयों में अपने अंशदान की दर को बदल सकता है।

(3) कोई सदस्य छुट्टी पर जाने से पहले बोर्ड को लिखित संप्रेषण के माध्यम से ऐसे विकल्प की सूचना देते हुए, अपनी इच्छा से, चाहे तो छुट्टी की अवधि के दौरान अंशदान न करे, किन्तुप यह छुट्टी तीस दिन से कम की अर्जित छुट्टी नहीं होनी चाहिए और ऐसी सूचना देने में विफलता को यह समझा जाएगा कि उसने अंशदान देने का विकल्प चुन लिया है।

11. निधियों से या को हस्तांतरण—जहाँ कोई कर्मचारी किसी अन्य सरकारी या अर्द्ध-सरकारी संगठन या ऐसे संगठन में शामिल होने के लिए आयोग की सेवा छोड़ता है जिस पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) प्रवृत है या ऐसे संगठन में जाता है जो आयकर आयुक्त द्वारा मान्यताप्राप्त भविष्यनिधि अनुरक्षित करता है तो ऐसे कर्मचारी के खाते में जमा संचित राशि को उसके नए नियोक्ता द्वारा अनुरक्षित निधि में हस्तांतरित किया जाएगा, यदि कर्मचारी ऐसी इच्छा व्यक्त करता है और ऐसे नए नियोक्ता की भविष्य निधि के संबंध में विनियम ऐसे हस्तांतरण की अनुज्ञा दें।

12. ब्याज—(1) बोर्ड किसी सदस्य के खाते में उस दर पर ब्याज जमा करेगा जैसा कि बोर्ड सदस्य की भविष्य निधि में किसी समेकित राशि पर ब्याज देने के लिए समय-समय पर अवधारित करे जो साधारण भविष्य निधि के संबंध में केन्द्री य सरकार के कर्मचारियों को देय समरूपी दर से अधिक नहीं होगा।

(2) ब्याज के निम्नलिखित रीति से प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च से जमा किया जाएगा:—

(क) चालू वर्ष के दौरान सदस्य द्वारा निकाली गई राशि को घटा कर पिछले वर्ष के 31 मार्च को किसी सदस्य के खाते में उस राशि पर महीनों का ब्याज दिया जाएगा;

(ख) चालू वर्ष के 31 मार्च तक जमा करने की तारीख से पिछले वर्ष के 31 मार्च के बाद सदस्य के खाते मे जमा सारी राशि पर ब्याज दिया जाएगा;

(ग) चालू वर्ष के 1 अप्रैल से लेकर जिस महीने राशि निकाली गई है, उससे पहले के महीने के अंतिम दिन तक की अवधि के लिए चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशि पर ब्याज दिया जाएगा;

(घ) ब्याज की कुल राशि को रुपए की अगली उच्चतर राशि में गणना करते हुए निकटतम रुपए (पचास पैसे और अधिक) तक पूर्णांक में रखा जाएगा;

परन्तु सदस्य के खाते में जमा राशि देय हो गई हो, तब चालू वर्ष से आरंभ हुई अवधि या जमा कराने की तारीख से, यथास्थिति , लेकर उस माह से पहले वाले माह के अंत तक जिस माह में सदस्य के काथे में जमा राशि देय हो जाती है, की अवधि के संबंध में इन विनियमों के अंतर्गत उस जमा राशि पर ब्याज जमा किया जाएगा।

13. वार्षिक विवरण—(1) जहाँ तक संभव हो बोर्ड प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक, प्रत्येक सदस्य के पास एक वार्षिक विवरण भेजेगा जिसमें उसके खाते में शेष राशि, जमा, वर्ष के दौरान निकाली गई राशियाँ और दिया गया ब्याज इत्यादि दिखाए जाएंगे।

(2) कथन वार्षिक विवरण की सत्यता की समाधान करेगा और त्रुटियों, यदि कोई हो, तो उसे ऐसे वार्षिक विवरण प्राप्त करने की तारीख से तीन माह के भीतर बोर्ड के ध्यान में लाएगा।

14. अग्रिम की मंजूरी—आवेदन देने पर, बोर्ड किसी भी सदस्य को अस्थायी अग्रिम मंजूर कर सकता है जो सदस्य के तीन माह के वेतन या उसके अपने अंशदान और उस पर ब्याज की राशि की आधी राशि, जो भी कम हो, से अधिक न हो, परन्तुप निम्नलिखित शर्तों का पालन किया गया हो, अर्थात:—

(क) बोर्ड इस बात से समाधान है कि इस राशि को निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसी एक या अधिक पर ही खर्च किया जाएगा-

(I) सदस्य की बीमारी या वास्तव में उस पर आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी पर किए गए खर्च के भुगतान के लिए ;

(Ii) विवाह, अंतिम संस्कार या ऐसे समारोहों के संबंध में खर्चों के भुगतान के लिए जो सदस्य के धर्म के अनुसार मनाने आवश्यक हों;

(iii) उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के अंतिम संस्कार से बाध्य ता के खर्चों का भुगतान करने के लिए;

(iv) हाई स्कूल के पश्चात उसके बालको की तकनीकी, वृतिक या रोज़गारपरक पाठ्यक्रम के लिए उच्च शिक्षा का खर्च पूरा करने के लिए परन्तुं पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष से कम न हो;

(v) हाई स्कूल के पश्चात शैक्षिक, तकनीकी, वृतिक या रोज़गारपरक पाठ्यक्रम के लिए उसके बालको की भारत से बाहर शिक्षा का खर्च पूरा करने के लिए;

(vi) सदस्य द्वारा अपने कार्यालय की ड्यूटी करने में उसके द्वारा किए गए किसी कार्य या तथाकथित कृत्य के मामले में उसके विरूद्ध लगाए गए किसी आरोप के संबंध में स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए सदस्य द्वारा की गईं विधिक कार्यवाहियों का खर्च पूरा करने के लिए।

टिप्पण 1: इस उप-खंड के अंतर्गत मंजूर किया गया अग्रिम आयोग से उसी प्रयोजन के लिए अनुज्ञेय किसी अन्य अग्रिम के अतिरिक्त उपलब्ध है।

टिप्पण 2: इस उप-खंड के अंतर्गत अग्रिम उस सदस्य को अनुज्ञेय नहीं होगा जिसमें उसने या तो ऐसे मामले के संबंध में किसी अदालत में कोई विधिक कार्यवाही की हो जो उसकी सरकारी ड्यूटी से बाध्यलता के न हो या सेवा शर्तों अथवा शास्ति के संबंध में आयोग के विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही की हो;

(vii) जब आयोग द्वारा सदस्य पर किसी न्यायालय में अभियोजन चलाया गया हो तो अपने बचाव पर या जब सदस्य पर किसी कथित सरकारी कदाचार के संबंध में जाँच के मामले में अपने बचाव में सदस्य ने किसी विधि व्यवसायी को नियुक्त किया हो तो उसका खर्च उठाने के लिए;

(ख) किसी भी सदस्य को दूसरा अग्रिम तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि पहला अग्रिम ब्याज सहित पूरी तरह वसूल नहीं लिया जाता।

15. अग्रिम की वसूली—(1) विनियमन 14 के अंतर्गत मंजूर किया गया अस्थायी अग्रिम और उसके ब्याज को सदस्य उतनी ही मासिक किश्तों में वसूला जाएगा जितनी बोर्ड अवधारित करेगा किन्तुश ऐसी किश्तों की संख्या बाहर से कम और चौबीस से ज्यादा नहीं होगी।

(2) आयोग ऐसी किश्तों को कर्मचारियों के वेतन से काटेगा और उनको बोर्ड को देगा।

(3) यह कटौती अग्रिम लेने के बाद वाले महीने का वेतन जारी होने से शुरु की जाएगी।

(4) जब सदस्य छुट्टी पर हो या निर्वाह अनुदान प्राप्त कर रहा हो तो केवल सदस्य की सहमति से वसूली की जाएगी।

(5) इन विनियमों के अंतर्गत की गई वसूलियाँ निधि में सदस्य के खाते में जमा की जाएंगी।

(6) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, यदि बोर्ड का समाधान है कि निधि से अग्रिम के रूप में निकाली गई राशि उस प्रयोजन से अलग प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई है जिसके लिए अस्थायी अग्रिम मंजूर किया गया था तो बोर्ड सदस्य को वह अग्रिम वापस करने को कह सकता है, जब्त कर सकता है या व्यतिक्रम करार दे सकता है, उसकी परिलब्धियों से

एकमुश्त रूप से वसूल सकता है भले ही वह छुट्टी पर हो और यदि वसूली जाने वाली राशि सदस्य की मासिक परिलब्धियों की आधी से ज्यादा है तो वसूली परिलब्धियों की आधी दो या अधिक मासिक किश्तों में की जा सकती है।

16. निधि से निकासियाँ—बोर्ड निम्नलिखित परिस्थितियों में सदस्यों को धन निकासी की मंजूरी देगा:-

(क) सदस्य या उसके कुटुम्ब् के किसी सदस्य की बीमारी के मामले में किए गए खर्च के भुगतान के लिए;

(ख) निम्नलिखित मामलों में सदस्य पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी बालकों की जहाँ आवश्यक हो यात्रा के खर्चों सहित, उच्च शिक्षा के खर्चे को पूरा करने के लिए अर्थात्:—

(I) हाई स्कूल से आगे शैक्षिक, तकनीकी, वृतिक या रोज़गारपरक पाठ्यक्रम के लिए के लिए भारत से बाहर शिक्षा के लिए; और

(Ii) हाई स्कूल के बाद भारत में ही आयुर्विज्ञान, इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशेषीकृत पाठ्यक्रम, परन्तुय अध्ययन का पाठ्यक्रम तीन वर्ष से कम अवधि का न हो;

(ग) सदस्य या उसके कुटुम्बी के किसी सदस्य के भारत से बाहर किसी स्थान तक जाने की यात्रा का भुगतान करने के लिए;

(ii) विवाहों, अंतिम संस्कारों या ऐसे समारोहों के संबंध में खर्चों के भुगतान के लिए जो सदस्य के धर्म के अनुसार मनाने आवश्यक हों;

(ङ.) गृह निर्माण, मकान के लिए स्थान खरीदने या मकान और स्थान खरीदने के लिए खर्चे को पूरा करने के लिए;

(च) सदस्य द्वारा अपने कार्यालय की ड्यूटी करने में या अपने हिस्से की ड्यूटी में किसी शासकीय कदाचार के संबंध में नियोक्ता द्वारा उसे आरोपी बनाने जाने पर, अपने बचाव के खर्च की लागतों को पूरा करने के लिए या उसके द्वारा किए गए किसी कार्य या तथाकथित कृत्य के मामले में उसके विरूद्ध लगाए गए किसी आरोप के संबंध में स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए सदस्य द्वारा की गईं विधिक कार्यवाहियों का खर्च पूरा करने के लिए;

परन्तु इस उप-खंड के अंतर्गत निकासी उस सदस्य को अनुज्ञेय नहीं होगा जिसमें उसने या तो ऐसे मामले के संबंध में कोई विधिक कार्यवाही की हो जो उसकी सरकारी ड्यूटी से बाध्यबता के न हो या सेवा शर्तों अथवा उस पर लगाए गए दंड के संबंध में आयोग के विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही की हो।

17. विभिन्न प्रयोजनों के लिए निकासी की शर्तें—(1) विनियम 16 के खंड (ङ.) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए निकासी निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात्:—

(i) निकासी की राशि सदस्य के खाते में जमा रकम या मकान अथवा स्थान की वास्तविक कीमत के आधे से अधिक नहीं होगी, जो भी कम हो;

(ii) सदस्य बीस वर्ष की सेवा पूरी कर चुका हो या अगले दस वर्षों के भीतर सेवानिवृत्त होने वाला हो;

(iii) धन निकासी के छह माह के भीतर मकान का निर्माण आरंभ कर दिया जाना चाहिए और इसे निर्माण शुरु होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाना चाहिए;

(iv) यदि धन निकासी किसी मकान या मकान के लिए स्थान की खरीद के लिए की जाती है तो खरीद धन निकासी के छह माह के भीतर की जानी चाहिए;

(v) यदि धन निकासी किसी मकान के निर्माण अथवा खरीद के लिए पहले लिए गए ऋण की अदायगी के लिए की गई है तो ऋण की अदायगी धन निकासी के तीन माह के भीतर की जाएगी;

(vi) जहाँ धन निकासी किसी मकान के निर्माण के लिए हो तो यह दो या अधिक समान किश्तों (चार से अधिक नहीं) में दी जाएगी, अंतिम किश्तों को इससे पूर्व की गई निकासी के वास्तविक उपयोग का बोर्ड द्वारा सत्यापन करने के बाद ही मंजूरी दी जाएगी;

(vii) धन निकासी तभी स्वीकृत की जाएगी जब मकान या स्थल ऋणभार से मुक्त हो और किसी संयुक्त संपत्ति याय भवन या मकान अथवा भूमि, जिसका स्वामित्व अधिकार विभाजित हो, के किसी भाग की खरीद के लिए किसी निकासी की अनुज्ञय नहीं दी जाएगी;

(viii) यदि निकाली गई धनराशि खरीद या मकान के निर्माण या स्थल के वास्तविक मूल्य से अधिक है या राशि को जिस प्रयोजन के लिए लिया गया हो, उस निमित्त उपयोग में न लाया गया हो तो अधिक अथवा पूर्ण राशि, जैसी भी मामला हो, को विनियम 12 के उप-विनियम तहत वापसी के माह से ब्याज सहित एकमुश्त रकम बोर्ड को प्रतिक्षय करनी होगी और वापस की गई राशि को निधि में सदस्य के खाते में जमा कराया जाएगा।

(2) विनियम 16 में निर्दिष्टक किसी अन्य प्रयोजन के लिए धन निकासी तीन महीने के वेतन या सदस्य के खाते में जमा विद्यमान राशि के आधे से अधिक नहीं होगी, जो भी कम हो।

(3) जिस सदस्य ने पहले से कोई अग्रिम लिया है, वह, अपने विवेक से, लिखित अनुरोध द्वारा अपने ऊपर बकाया शेष को इन विनियमों में चिहित शर्तों को पूरा करके अंतिम धन निकासी में परिवर्तित कर सकता है।

18. संचयन की अंतिम निकासी—जब कोई सदस्य सेवा छोड़ता है तो निधि में उसके खाते में जमा राशि उसे देय होगी;

परन्तुं कोई सदस्य जिसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और बाद में बहाल कर दिया गया हो, उसे इन विनियमों के अनुसार निधि से दी गई किसी राशि को ब्याज सहित लौटाना होगा, यदि आयोग द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है;

पुन: परन्तु यह और कि केन्द्री य सरकार सरकार या राज्य सरकार, पब्लिक सेक्ट र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग में नई नियुक्ति लेने के लिए (इस्तीफे सहित) स्थानांतरण के मामले में, उसके खाते की शेष राशि को नए निकाय में उसके नए खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।

19. सदस्य की सेवानिवृत्ति—जब कोई सदस्य सेवानिवृत्ति से पहले छुट्टी पर गया हो या छुट्टी पर होते हुए उसे सेवानिवृत्ति की अनुज्ञय दे दी गई हो या चिकित्सीय प्राधिकारी द्वारा आगे की सेवा के लिए उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया हो तो उसके खाते में जमा राशि और उसपर लगे ब्याज को इस निमित्त उसके आवेदन करने पर, उस सदस्य को देय हो जाएगी।

20. किसी सदस्य की मृत्यु पर प्रक्रिया—(1) खाते में विद्यमान राशि के देय हो जाने से पूर्व ही सदस्य की मृत्यु होने पर या जहाँ राशि देय हो चुकी है किन्तु भुगतान नहीं किया गया है:—

(क) यदि सदस्य अपने पीछे एक कुटुम्बे को छोड़ जाता है—

(i) यदि उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य या सदस्यों के पक्ष में नामनिर्दिष्टप है तो निधि में उसके खाते में विद्यमान राशि या उसका कोई भाग जो नामनिर्दिष्ट् से बाध्यंता के है, नामनिर्दिष्ट में विनिर्दिष्ट अनुपात में उसके नामिति या नामितियों को देय होगा;

(ii) यदि कुटुम्ब के किसी सदस्य या सदस्यों के पक्ष में नामनिर्दिष्ट नहीं है या यदि ऐसा नामनिर्दिष्ट निधि में उसके खाते में विद्यमान राशि के किसी एक भाग से बाध्यता के है तो संपूर्ण राशि अथवा उसका कोई भाग जिससे नामनिर्दिष्ट का संबंध नहीं है, उसके कुटुम्ब के सदस्यों में बराबर भागों में देय होगा;

परन्तु निम्नलिखित को कोई भाग देय नहीं होगा—

(क) वे पुत्रों जो पच्चीस वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं;

(ख) वे पोते जो पच्चीस वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं;

(ग) वे विवाहित बेटियाँ जिनके पति जीवित हैं; और

(घ) दिवंगत पुत्रों की वे विवाहित बेटियाँ जिनके पति जीवित हैं; और

(ड.) यदि मद (क), (ख), (ग) और (घ) में विनिर्दिष्ट के अलावा कुटुम्ब में कोई और सदस्य है;

परंतु यह और कि किसी दिवंगत पुत्रों की विधवा या विधवाएं और बालकों केवल उस भाग को बराबर भागों में प्राप्त करेंगे जो पुत्र को मिलता यदि वह सदस्य के बाद जीवित होता और उसे प्रथम परंतुक की मद (क) के उपबंधों से छूट प्राप्त होती।

टिप्पण : भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारी 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत कुटुम्ब के किसी सदस्य को इन विनियमों के तहत देय ऐसी राशि इस तरह के सदस्य को मिलेगी;

(ख) जब सदस्य अपने पीछे कोई कुटुम्ब नहीं छोड़ता है, नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में विनियम 21 के उपबंधो के अनुसार, उसके द्वारा कोई नामनिर्दिष्ट किया जाता है तो निधि में उसके खाते में विद्यमान राशि या उसका कोई भाग जो नामनिर्देशन से बाध्यिता के है, नामनिर्दिष्टु में विनिर्दिष्ट अनुपात में उसके नामिति या नामितियों को देय होगा।

टिप्पतण : जब सदस्य अपने पीछे कोई कुटुम्बं नहीं छोड़ता है, और विनियम 21 के अनुसार, उसके द्वारा कोई नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है या ऐसा नामनिर्दिष्ट निधि में उसके खाते में विद्यमान राशि या उसके किसी भाग से बाध्यता के है तो भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) धारा 4 की उपधारा (ख) के खंड (ख) और उप खंड (ii) के संगत उपबंध और उस संपूर्ण राशि या उसके भाग पर प्रवृत होंगे जिसे नामनिर्देशन संबंधित नहीं है।

21. नामनिर्देशन—(1) सदस्य निधि में शामिल होते समय बोर्ड को एक या एक से अधिक व्यक्तियों का नामनिर्देशन भेजेगा जिसे/जिन्हें सदस्य के खाते में जमा राशि के देय होने से पहले उसकी मृत्यु होने की स्थिति में या राशि देय हो गई है किन्तु भुगतान नहीं किया गया है-इस स्थिति में निधि में उसके खाते में जमा राशि को हासिल करने का अधिकार देगा;

परन्तु कि नामनिर्देशन करते समय सदस्य का कुटुम्ब हो तो नामनिर्देशन कुटुम्ब के किसी सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नहीं होगा ।

(2) यदि सदस्य एक से अधिक व्यक्तियों का नामनिर्दिष्ट करता है तो नामनिर्दिष्ट करते समय उसे प्रत्येक नामनिर्दिष्ट व्यक्ति के लिए वह राशि या हिस्सा इस तरह से विनिर्दिष्ट करना होगा जिससे किसी भी समय निधि में उसके खाते में जमा संपूर्ण राशि इसमें कवर हो जाए।

(3) प्रत्येक नामनिर्देशन इस प्रकार से होना चाहिए जैसा कि इन विनियमों में लगी अनुसूची में उल्लेख किया गया है।

(4) सदस्य किसी भी समय बोर्ड को लिखित नोटिस देकर इन विनियमों के उपबंधो के अनुसार नया नामनिर्देशन करते हुए किसी नामनिर्देशन को रद्द कर सकता है।

(5) सदस्य किसी नामनिर्देशन में व्यवस्था कर सकता है-

(क) कि सदस्य से पहले ही मृत्यु हो जाने की स्थिति में विनिर्दिष्ट नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को दिया गया अधिकार कुटुम्ब के किसी ऐसे दूसरे सदस्य के पास चला जाएगा जिसे नामनिर्देशन के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए और यदि कुटुम्ब में कोई अन्य सदस्य न हो तो यह अधिकार ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को चला जाएगा जिन्हें नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ख) कि नामनिर्दिष्ट उसमें उल्लिखित किसी आकस्मिक स्थिति के होने पर अविधिमान्यन हो जाएगा;

परन्तु कि यदि नामनिर्देशन करने के समय, सदस्य के कुटुम्ब में केवल एक सदस्य है तो वह नामनिर्दिष्ट में यह व्यवस्था करेगा कि खंड (क) के अंतर्गत वैकल्पिक रूप से नाम निर्दिष्टि किए गए व्यक्ति को दिया गया अधिकार बाद में कुटुम्ब में अन्य सदस्य या सदस्यों के आने पर अविधिमान्यद हो जाएंगे।

(6) किसी ऐसे नामनिर्देशन व्यक्ति की मृत्यु के तुरंत पश्चात जिसके लिए नामनिर्देशन व्यवस्था नहीं की गई है या किसी भी ऐसी घटना के होने पर जिसके कारण से नामनिर्दिष्ट अविधिमान्य हो जाए तो सदस्य इन विनियमों के उपबंधो के अनुसार एक नए नामनिर्देशन के साथ बोर्ड को लिखित रूप में इस नामनिर्देशन रद्द करने का नोटिस भेजेगा।

(7) किया गया प्रत्येक नामनिर्देशन और सदस्य द्वारा दिया गया रद्द करने संबंधी प्रत्येक नोटिस, मान्य सीमा तक, उस तारीख को प्रद्दत्त होगा जिस तारीख पर इसे बोर्ड द्वारा प्राप्त किया गया है।

22. सदस्य का खाता—बोर्ड द्वारा प्रत्येक सदस्य का खाता अनुरक्षित किया जाएगा और इसमें इन विनियमों में संलग्न अनुसूची में उल्लिखित विशिष्ट या शामिल होंगे।

रुबी कौशल
सचिव

अनुसूची

नामांकन का प्रपत्र

[विनियम 21(3)]

(जब अंशदाता का एक कुटुम्बत हो और वह किसी एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करना चाहता हो।)

मैं, (सदस्य का नाम) एतद्द्वारा नीचे दिए गए व्यक्ति(यों) को नामनिर्दिष्टक करता हूँ जो मेरी मृत्यु की स्थिति में निधि में मेरे खाते में विद्यमान धनराशि को हासिल करने के लिए दिल्ली नागरी कला आयोग भविष्य निधि विनियम, 2020 के विनियम 2 के खंड (i) में दी गई परिभाषा के अनुसार मेरे कुटुम्ब का/के सदस्य हैं, इससे पहले कि वह राशि देय हो गई हो या उसका संदय न कर दिया गया हो:—

क्र.सं. (1).	नामनिर्देष्ट का नाम और पता (2).	सदस्य से नातेदारी (3).	नामनिर्देष्टी का प्रतिशत भाग (4).

तारीख:

सदस्य के हस्ताक्षर

DELHI URBAN ART COMMISSION

New Delhi-110003, the 17th March 2020

No. 9(2)/2019-DUAC—In exercise of the powers conferred by clause (c) of section 27 read with sub-section (3) of section 9 of the Delhi Urban Art Commission Act,1973(1 of 1974), the Delhi Urban Art Commission with the previous approval of the Central Government makes the following Regulations, namely:—

PART I

PRELEMINARY

1. Short title, commencement and application: (1) These regulations may be called the Delhi Urban Art Commission Employee's(Group Pension Scheme) Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires:—

a. "Act" means the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974);

b. "Commission" means Delhi Urban Art Commission established under the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 ;

c. "Competent Authority" means the Secretary, of the Delhi Urban Art Commission or any other authority as may be designated by the Commission for the purposes of these regulations;

d. "Contribution" means any sum credited by the Commission out of their own money to the individual account of an employee but does not include any sum credited as interest;

e. "Corporation" means the Life Insurance Corporation of India, established under section 3 of the Life Insurance Corporation Act, 1956(31 of 1956);

f. "Emoluments" includes Basic Pay (substantive or officiating), stagnation increments, dearness pay, dearness allowance but does not include special allowance, personnel pay, deputation (duty) allowance and other allowances and perquisites which are not to be computed for calculation of superannuating pension (at time of retirement) and the expression "average emoluments" shall be the average of the emoluments drawn during the last ten months;

g. "Employees" means any person appointed under sub-section(3) of section 9 of the Act before 1st day of January, 2004, who was a petitioner in O.A No.1437/2009 filed in the Hon'ble Central Administrative Tribunal and includes a petitioner whose services are lent by the Commission to the Central Government or to any State Government or any other autonomous body or statutory body under the Central or the State Government;

h. "Member" means the employee or his dependent in respect of deceased employee or retired employee who has been admitted to the membership of the Scheme in terms of these regulations and shall include any such person only so long as he continues to be admitted to the benefits hereunder;

i. "Scheme" means the scheme of insurance as described in the regulation 9;

j. "Trustees" means the Board of trustees for the time being of the Delhi Urban Art Commission constituted under regulation 3;

(2) All other words and expressions used herein and not defined in these regulations, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them under the Act.

3. Board of trustees: (1) There shall be a Board of trustees which shall act for and on behalf of the members and Commission in any matter relating to the Scheme and every act done and agreement made by the trustees shall be binding on the members and the Commission.

(2) The Board of trustees shall consist of the following, namely:—

(a) a Chairperson to be nominated by the Commission;

(b) two representatives of the Commission to be nominated from time to time by the Commission , one of whom shall be the Administrative Officer of the Commission; and

(c) two representatives of the employees to be nominated by the Commission from amongst the members.

(3) The Administrative Officer of the Commission shall convene meetings, keep records thereof , take necessary steps to ensure maintenance of accounts in accordance with the provisions of these regulations and also carry out the decisions of the trustees.

(4) The Commission may fill up casual vacancies created by the death or resignation of a member or other causes.

(5) the term of office of the Chairperson and other trustees shall be three years, commencing from the respective dates on which they are nominated as Chairperson or trustees, as the case may be.

(6) A trustee nominated to fill a casual vacancy shall hold office for the unexpired term of office of the trustee in whose place he is nominated.

(7) An outgoing trustee shall be eligible for re-nomination.

4. Commission's decision regarding eligibility to be final:

The Commission's decision regarding the eligibility of an employee or his next of kin in case of deceased employee in terms of the provisions of these regulations for the purpose of the Scheme shall be final and binding on all the parties concerned.

5. Transfer of equitable interest out of the Scheme: In the event of an employee at any time ceasing to be in service, the trustees with the prior approval of the Commission, shall if the employee so desires, pay to an Approved Fund to be registered with the Commissioner of income-tax under Part B of the schedule to the Income-tax Act, 1961, which has power to accept such a transfer and of which the employee may become a member, an amount equivalent to the value of his equitable interest in the Scheme and intimate such transfer to the Commissioner of income tax.

6. Evidence of age: The trustees shall certify to the Corporation the age of a member before he is admitted to the Scheme and if the age of the member is conclusively proved later to have been incorrectly stated, the Corporation shall make appropriate adjustment in the benefits having regard to its normal practice.

7. Member not to withdraw: No Member shall withdraw from the Scheme while he is still an employee with the Commission.

PART-II

CONTRIBUTIONS AND SCHEME OF INSURANCE

8. Contributions: (1) There, shall be paid by the Commission to the trustees in respect of each eligible member, a onetime lump sum contribution as determined after actuarial investigation and the trustees shall pay the same to the Corporation for the purpose of the Scheme;

Provided that in the case of the members who at the time of their entry into the Scheme have past service to their credit, contribution relating to past service as determined by the actuarial investigation shall be paid by the Commission .

(2) The expenses of administration of the Scheme shall be payable by the Commission in addition to the contribution mentioned in sub-regulation(1) and the Commission shall not claim such expenses as deductible expenses in computing its business profits or losses for the purpose of income tax assessment.

(3) In the event of employee's service being lent by the Commission to any other organization on deputation or short term contract or foreign service, the employee's service for the purpose of this regulation shall be deemed to continue.

9. Scheme of insurance: (1) For the purpose of providing pension to the members, the trustees shall enter into a Scheme of Insurance with the Corporation and the Corporation shall maintain an account into which shall be credited the contributions paid by the trustees in respect of all the members.

(2) The Corporation shall allow interest on the balance standing to the credit of the account at a rate to be determined by the Corporation as at the close of each financial year.

(3) When a pension becomes payable to the member on his retirement or cessation of service or to his beneficiary in the event of his death, the Corporation shall, on the advice of the trustees, appropriate an amount to provide for payment of the pension according to these regulations to the member;

Provided that where a part of the pension is to be commuted, the commuted value will become payable in one lump sum, in which case only the balance of the pension will become payable;

Provided further that in respect of pensioners an appropriate amount will be debited from running account for increase in pension due to revision of dearness pay, restoration of the commuted portion of the pension or increase in basic pension for whatsoever reason subsequently, in terms of these regulations.

(4) If the Corporation with the sole intention of granting relief on its own to the members who are already drawing the pension decide to increase the quantum of pension, such members or beneficiaries shall be eligible for the said increase in the pension from such date and in such form as may be allowed by the Commission.

SECTION-III

BENEFITS & OPERATIONAL MATTERS

10. Qualifying service(1) Qualifying service of an employee shall commence from the date he takes charge of the post to which he was first appointed in a permanent capacity;

Provided that temporary service followed by confirmation without interruption shall also qualify.

(2) The service of an employee shall not qualify unless his duties and pay are regulated by the Commission.

(3) The following periods of service shall count as qualifying service, namely:—

i. Duty and periods treated as 'duty';

ii. All kinds of leave with leave salary;

iii. Deputation and foreign service;

iv. extraordinary leave on medical certificate and extraordinary leave without medical certificate granted due to inability of the employee to join or rejoin duty on account of civil commotion or for pursuing higher technical and scientific studies;

Provided that this period shall automatically count as qualifying service without an express sanction for this purpose;

v. pre-appointment training followed immediately by appointment as Group 'C' and 'D' employees;

vi. Service on probation followed by confirmation;

vii. suspension followed by minor penalty;

viii. suspension followed by major penalty;

ix. absence from duty including suspension if any, if the reinstating authority orders that it shall count.

(4) The following periods shall not count as qualifying service:—

i. Service rendered before attaining the age of eighteen years;

ii. unauthorized absence treated as 'dies non';

iii. overstayal of leave for joining time not regularized as leave with leave salary;

iv. Extraordinary leave without medical certificate other than the circumstances specified in clause(iv) of sub-regulation(3);

v. suspension followed by major penalty, if the reinstating authority does not order that it shall count as qualifying service.

(5) Qualifying service for pension shall be calculated and expressed in completed half-years and fractions equal to three months and above shall be treated as one half-year.

11. Classes of Pension-The following pension shall be admissible to the employees who retire or are retired with a qualifying service of not less than ten years, namely:—

a. superannuation pension on retirement after superannuation;

b. retiring pension on voluntary or premature retirement before superannuation;

c. invalid pension on retirement after being declared by the competent medical authority to be permanently incapacitated for further service;

d. compensation pension on selection for discharge owing to the abolition of his permanent post and provision of alternate employment of equal status is not possible, or offer of a lower post is not accepted;

e. compulsory retirement pension on compulsory retirement as a measure of penalty;

Provided that such pension will not be less than two-thirds nor more than full compensation pension admissible on the date of compulsory retirement;

f. compassionate allowance on dismissal or removal, sanctioned by the Competent Authority in a case deserving of special consideration;

Provided that the amount shall not exceed two-thirds of pension, which would have been admissible to him if he had retired on compensation pension.

12. Rate of Pension-(1) Full pension shall be admissible to a retiring or retired employee on superannuation with minimum qualifying service of not less than ten years.

(2) The amount of pension will be fifty percent of the average emoluments of last ten months or fifty percent of emoluments drawn on the date of retirement, whichever is more beneficial.

(3) In case of retirement or death between 1st January,2006 and 31st December, 2015, the amount of pension or family pension shall be subject to a minimum of rupees three thousand five hundred per month and in case of retirement or death on or after 1st January,2016, the amount of pension or family pension shall be subject to a minimum of rupees nine thousand per month.

(4) For all classes of pension (including compassionate allowance), the method of determination of pension shall be the same.

(5) The amount of compulsory retirement pension shall not be less than two-thirds and not more than full pension.

(6) The amount of compassionate allowance shall not exceed two-third of the normal pension.

(7) Additional quantum of pension shall be payable as and when the pensioner attains the age of 80 years and above as detailed below:—

Age of Pensioner (1)	Additional quantum of pension (2)
80 years to less than 85 years	20% of basic pension
85 years to less than 90 years	30% of basic pension
90 years to less than 95 years	40% of basic pension
95 years to less than 100 years	50% of basic pension
100 years or more	100% of basic pension

(8) The amount of pension shall be rounded off to the next higher rupee and payment of pension for part of a month, if worked out in fraction of a rupee should also be rounded off to the next higher rupee.

(9) Dearness Relief shall be payable on the pension and additional pension based on old age at the same rates as dearness allowance admissible to serving employees.

13. Family pension (1) Family pension shall be payable to the following family of an employee on his death in service or retirement, namely:—

i. widow or widower, up to the date of death or remarriage, whichever is earlier;

ii son or daughter (including widowed daughter), up to the date of his or her marriage or remarriage or till the date he or she starts earning or till the age of twenty five years, whichever is earlier;

iii. unmarried or widowed or divorced daughter, not covered under clause(i) and (ii) above, up to the date of marriage or remarriage or till the date she starts earning or up to the date of her death, whichever is earlier;

iv. Parents who were wholly dependent on the employee when he was alive, provided the employee had left behind neither a widow nor a child ;

Provided that family pension to dependent parents, unmarried or divorced or widowed daughter shall continue till the date of death of such dependent parents or unmarried or divorced or widowed daughter.

(2) Family pension to unmarried or widowed or divorced daughters and dependant parents referred to in clauses (iii) and (iv) of sub-regulation (1) shall be payable only after the other eligible family members referred to in clauses (i) and (ii) of the said sub-regulation have ceased to be eligible to receive family pension and there is no disabled child to receive the family pension.

(3) Grant of family pension to children in respective categories shall be payable in order of their date of birth and younger of them will not be eligible for family pension unless the next above him or her has become ineligible for grant of family pension in that category.

(4) The income criteria for dependency shall be the minimum family pension along with dearness relief thereon.

(5) The dependant disabled siblings (brothers or sisters) for life shall be granted pension in the same manner as in the case of son or daughter suffering from any disorder or disability.

(6) The monthly family pension shall be based on the 'pay' drawn on the date of death or on the date of retirement, as the case may be, and is admissible at a uniform rate of thirty percent of pay last drawn, subject to a minimum of rupees three thousand five hundred per month in case of death of the employee between 1st January, 2006 and 31st December, 2015 and a minimum of rupees nine thousand per month thereafter.

(7) Additional family pension shall be payable by the pension disbursing authority as and when the pensioner attains the age of 80 years and upto 100 years, as detailed below:—

Age of family pensioner (1)	Additional quantum of family pension (2)
From 80 years to less than 85 years	20% of basic family pension
From 85 years to less than 90 years	30% of basic family pension
From 90 years to less than 95 years	40% of basic family pension
From 95 years to less than 100 years	50% of basic family pension
From 100 years or more	100% of basic family pension

(8) The monthly rate of family pension shall be expressed in whole rupees, fraction of a rupee being rounded off to the next higher rupee and where family pension is payable to more than one person, each share containing a fraction of a rupee should be rounded off to the next higher rupee.

(9) A higher rate of famly pension shall be admissible if the deceased employee had rendered not less than seven year's continuous service and payable from the date following the date of death of the employee but such higher rate of family pension shall not be admissible to dependant parents who shall be eligible only for the normal rate.

(10) The rates of pension shall be –

(i) in the case of death in service, fifty per cent of the pay last drawn payable to the family of employee for a period of ten years from the date of death of an employee, without any upper age-limit;

(ii) in the case of death after retirement, fifty per cent of pay drawn at the time of retirement payable for a period of seven years or upto the date on which the employee would have attained the age of sixty-seven years had he survived, whichever is less or the amount of pension authorized on retirement, whichever is less.

(11) Dearness relief shall be payable on the family pension and additional family pension based on old age at the same rates as dearness allowance admissible to serving employees.

(12) Pension shall be payable, except in cases, where the deceased is survived by –

(i) more than one widow; or

(ii) one widow and children through another wife already expired; or

(iii) twin children,

The family pension shall be payable to only one member of the family at a time which shall be payable first to the surviving widow or widower till his or her death or remarriage, whichever is earlier, and thereafter to eligible children one by the one in the order of their birth, irrespective of their sex and in the case of dependant parents, if both parents are alive, it shall be paid first to mother and after her death to father.

(13) If a family pensioner dies, the right to receive any arrears of family pension shall automatically pass on to the next eligible member of the family.

(14) (a) When there is more than one widow, the family pension shall be allowed in equal shares and on the death of a widow, her share shall be payable to her eligible child or children and if such widow leaves no eligible child, her share of pension shall be payable to the other widow in full.

(b) When the deceased is survived by a widow and also an eligible child from a deceased or divorced wife, the child will be paid the share of the family pension which its mother would have received had she been alive or not divorced and on the share ceasing to be payable to the child, it shall be paid to the surviving widow.

(c) In the case of twins, the family pension shall be paid in equal shares and if one child ceases to be eligible, his share will be paid to the other child and on both children ceasing to be eligible, it will be paid to the next eligible child.

14. Period for which family pension payable.—(I) Family pension shall be payable to –

(i) widow or widower, till date of remarriage or death, whichever is earlier, including the date of death;

(ii) unmarried son or daughter, till date of marriage or date of attaining the age of twenty five years or starts earning the minimum family pension with dearness relief thereon, whichever is earlier;

(iii) dependant brothers or sisters suffering from disorder or disability of mind or physically crippled for life, till gets married or starts earning the minimum family pension with dearness relief thereon;

(iv) unmarried or widowed or divorced daughter, whichever is earlier;

(v) dependant parent till death or starts earning the minimum family pension, alongwith dearness relief thereon;

Provided that they shall be eligible only after the childless widow dies or when her independent income exceeds the prescribed limit;

(vi) disabled son or daughter even after marriage for life, or starts earning the minimum family pension with dearness relief thereon, whichever is earlier.

(2) In cases covered under clause (iii) and (iv) of sub-regulation (1), the family pension shall be resumed after other eligible members become ineligible.

(3) In cases covered by clause (ii) of sub-regulation (1), the family pension shall be paid through guardian till he attains the age of 18 years and thereafter to him directly;

Provided that in the case of son or daughter suffering from disorder or disability of mind, family pension shall be paid through guardian throughout.

(4) In cases covered by clause (vi) of sub-regulation (1), family pension shall cease once their independent income from all other sources become equal to or higher than the minimum prescribed family pension subject to production of declaration regarding income from other sources to the trustees every six months.

(5) (a) Judicial separation of husband and wife does not entail forfeiture of claim to family pension unless it is on the ground of adultery of which the surviving spouse was held guilty.

(b) If there is children through the judicially separated spouse, the children shall be paid the family pension through the surviving spouse who is the natural guardian; otherwise to the actual guardian.

(c) After the children cease to be eligible for family pension, the family pension shall be paid to the judicially separated spouse till death or remarriage, whichever is earlier.

(6) Family pension shall be admissible to the children of deceased employee or pensioner from void or voidable marriage along with the legally wedded wife.

(7) If the employee dies while under suspension, the period of suspension shall be treated as duty for all purposes including payment of pay and allowances and the family pension shall be payable to the eligible member of the family as in the case of death while in service.

(8) (a) Family pension shall stand suspended when the first eligible member of the family stands charged with the offence of concerned employee's or pensioner's murder or of abetting in the crime, till conclusion of the criminal proceeding instituted against him and the claim of other eligible family member will also remain suspended.

(b) If, on the conclusion of the criminal proceedings, the first eligible person is acquitted, the family pension will be granted to him; otherwise he will be debarred from received the family pension and it will be paid to the next eligible family member.

15. Family pension to be paid when the whereabouts of the employee or pensioner are not known:—(1) When an employee or pensioner disappears and his whereabouts are not known, his family shall be paid family pension after six months from the date of lodging of police report.

(2) When an employee is kidnapped by insurgents or terrorists, his family shall be paid family pension after six months from the date of lodging of police report.

(3) In cases in which employee disappear after committing fraud etc., the family pension shall be sanctioned only on the employee being acquitted by the court or after the conclusion of the disciplinary proceedings.

(4) In respect of missing family pensioner, family pension shall be granted to the next eligible members in the family subject to fulfillment of conditions prescribed for missing employees or pensioners.

(5) When a person eligible for family pension goes missing before the family pension is actually sanctioned to him, the family pension shall be sanctioned to the next eligible person subject to conditions prescribed for missing employees or pensioners.

16. Family pension to families of employees absorbed permanently in autonomous bodies and Public Sector Undertakings—The families of the employees shall be eligible for family pension under these regulations subject to conditions that absorption of the employee took place after due procedure was followed.

17. Family pension shall be admissible to post-retiral spouse or children born after retirement—The family pension shall be admissible also to post-retrial spouses and children born or adopted legally after retirement.

18. Commutation of pension, effect of commutation, restoration of commuted portion of pension etc.—(1) Every pensioner shall be eligible to commute a percentage of his monthly pension and percentage of compassionate allowance for a lump sum payment which is the commuted value of that percentage of the pension;

Provided that an employee or pensioner against whom departmental or judicial proceedings are pending is not eligible to commute a percentage of his pension till completion of such proceedings.

(2) Commutation without medical examination shall be allowed to persons in receipt of the following kinds of pension (including provisional pension) up to forty percent of their pension, if they apply for commutation before the expiry of one year reckoned from –

(i) the date of retirement in the case of superannuation pension, retiring pension, compensation pension; and

(ii) the date of issue of final orders in the case of pension granted on finalization of departmental or judicial proceeding and issue of final orders thereon.

(3) The following categories of pensioners can commute a portion of their pension only after they have been medically examined and declared fit by the appropriate medical authority, namely:—

(i) retired on invalidation;

(ii) retired compulsorily as a measure of penalty;

(iii) in receipt of compassionate allowance; and

(iv) all pensioners applying for commutation after one year from the date of retirement.

(4) The following shall be the competent medical authority for the purposes of commutation of invalid pension; and in all cases of a second medical examination for commutation of pension—

(i) Medical officer not lower in status than that of a civil surgeon or a district medical officer;

(ii) Medical Board.

(5) Withdrawal of application for commutation on medical examination shall be permissible before medical examination and after medical examination, if pensioner declines to accept addition to actual age directed in the medical report, within fourteen days of its receipt;

Provided that application for commutation shall be treated as withdrawn if pensioner fails to take the medical examination.

(6) The commutation becomes absolute and the commuted value of pension becomes payable on the date—

(i) Following the date of retirement in the case where the application for commutation of superannuation pension is received by the Secretary, Delhi Urban Art Commission on or before the date of superannuation;

(ii) On receipt by the Secretary, Delhi Urban Art Commission of the application for commutation of pension without medical examination before the expiry of one year as mentioned in cases specified in sub-regulation (2);

(iii) On which the Medical Authority signs the medical report for commutation;

(iv) On which the first Medical Authority recorded its opinion when its decision is set aside or modified on appeal.

(7) The commuted value of pension shall be calculated as per the following formula:—

Lumpsum payable = Pension offered for commutation X 12 X Commutation Factor and the commuted value shall be rounded off to the next higher rupee.

(8) The table below gives the commutation factor in respect of the age of the pensioner on his next birthday:—

COMMUTATION TABLE (Effective from 2-9-2008)

Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase
29	9.176	47	8.943	65	7.731
30	9.173	48	8.913	66	7.591
31	9.169	49	8.881	67	7.431
32	9.164	50	8.846	68	7.262
33	9.159	51	8.808	69	7.083
34	9.152	52	8.768	70	6.897
35	9.145	53	8.724	71	6.703
36	9.136	54	8.678	72	6.502
37	9.126	55	8.627	73	6.296
38	9.116	56	8.572	74	6.085
39	9.103	57	8.512	75	5.872
40	9.090	58	8.446	76	5.657
41	9.075	59	8.371	77	5.443
42	9.059	60	8.287	78	5.229
43	9.040	61	8.194	79	5.018
44	9.019	62	8.093	80	4.812
45	8.996	63	7.982	81	4.611
46	8.971	64	7.862		

(9) The reduction in the amount of pension on commutation will become operative from the date of receipt of the commuted value by the pensioner or at the end of three months after issue of authority for payment, whichever is earlier.

(10) To persons who retire on superannuation and apply for commutation before the date of retirement, the commuted value becomes payable on the day following the date of retirement and reduction in pension becomes operative from the same date;

Provided that where, payment of the commuted value is not made within the first month after retirement, the difference of pension for the period between the day following the date of retirement and the date preceding the date on which the commuted value is deemed to have been paid shall be authorized by the Commission.

(11) Nomination in the form prescribed by the trustees for the purpose shall accompany application for commutation conferring on one or more persons the right to receive the commuted value in the event of applicant's death before receiving it.

(12) Commuted portion of pension will be restored on the expiry of fifteen years from the date of retirement, if the commutation amount is received in the first month of retirement, and in other cases, the commuted portion of pension will be restored after fifteen years from the date of receipt of commutation amount on an application for the purpose to the trustees by the pensioner.

PART-IV

MISCELLANEOUS

19. Surplus account: Any sum forfeited to the trustees under these regulations shall be credited to a separate account called the 'surplus account' and shall be utilized for the purpose of investment in accordance with rule 85 of the Income Tax Rules, 1962.

20. Deduction of sums due to income tax authorities.—(1) In any case where the trustees or the Corporation is liable to account to the income tax authorities for income tax on any payments due under the Scheme, the trustees or the

Corporation, as the case may be, shall deduct a sum equal to the tax from such payment and they shall not be liable to the members for the sum so deducted.

(2) If the Scheme for any reason ceases to be approved by the Commissioner of income-tax, the trustees shall remain liable to tax on benefits paid out of the Scheme in so far as such benefits are secured by the contribution made before the Scheme ceased to be approved by the Commissioner of income tax under the provisions of Part B of the Fourth Schedule to the Income-tax Act, 1961.

21. Contribution by Commission when deemed to be income of the Commission.—

Where any contribution by the Commission (including the interest thereon, if any) are repaid to the Commission, the amount so repaid shall be deemed for the purpose of income-tax to be the income of the Commission of the previous year in which it is so repaid.

22. Appointment of beneficiary.—(1)The beneficiary of an employee to receive the family pension in the event of the death of the employee shall be the next of kin as stipulated in these regulations.

(2) If the employee dies whilst in service or before he has commended to draw the pension or after he has commenced to draw the pension but before he has received all the guaranteed installment under the pension option elected by him, the trustees shall hold the benefits in respect of the employee for payment to the beneficiary or beneficiaries in accordance with these regulations.

(3) Every appointment to be made under these regulations shall be in writing signed by the member or the guardian, as the case may be, and attested by two witnesses and shall remain in full force and effect until the death of the member.

(4) If a beneficiary at the time of their appointment as a member is a minor or otherwise under disability to give a legal receipt or discharge to the trustees, the member shall at the time of such appointment, appoint a person who is major and is capable of giving a legal receipt or discharge to the trustees and to whom the benefits are to be paid for and on behalf of such beneficiary so long as such minority or disability continues.

23. Interpretations of regulations: (1) If any question arises on any point as to interpretation of these regulations or any point relating to cessation of membership, the decision of the Commission thereon, shall be final.

(2) If the decision has any bearing on the provisions of Part B of the Fourth Schedule to the Income-tax Act, 1961 or the Income-tax Act Regulations, 1962 it shall be forthwith reported to the Commissioner of Income-tax and if the Commissioner of income-tax so requires, the Commission shall review the decision and it shall be final.

RUBY KAUSHAL
Secretary

Dated 17th March 2020

No. 9 (1)/2020-DUAC.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of section 27 read with sub-Section (3) of section 9 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973(1 of 1974), the Delhi Urban Art Commission, with the pervious approval of the Central Government, makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement—(1) These regulations may be called the Delhi Urban Art Commission Employee's Provident Fund Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. Definitions. – (1) In these regulations, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Delhi Urban Art Commission Act, 1973(1 of 1974);

(b) "Board" means a board of trustees constituted under regulation 4;

(c) "Chairman" means Chairman of the Commission;

(d) "Children" means legitimate children and includes adopted children if the Board is satisfied that under the personal law of the member, adoption of a child is legally recognized;

(e) "Continuous Service" means uninterrupted service under the Commission and includes service which is interrupted by sickness, accident, authorized leave or cessation of work not due to the fault of the member;

Provided that in the event of any dispute or difference of opinion as to whether any particular service is to be reckoned as a period of continuous service, the decision of the Commission thereon shall be final;

(f) "Commission" means the Delhi Urban Art Commission established under section 3 of the Act;

(g) "Emoluments" means pay and include dearness pay, special pay, personal pay, leave salary and subsistence allowance;

(h) "employee" means any person appointed under sub-section (3) of section 9 of the Act before 1st day of January, 2004, who was a petitioner in O.A No. 1437/2009 filed in the Hon'ble Central Administrative Tribunal;

(i) "family' means:—

(a) in the case of a male member, his wife, his children either married or unmarried, his dependent parents and his deceased son's widow and children;

Provided that if a member proves that his wife has ceased, under the personal law governing him or the customary law of the community to which the spouses belong, to be entitled to maintenance, she shall no longer be deemed to be a part of the member's family for the purpose of these regulations, unless the member subsequently intimates by express notice in writing to the Board that she shall continue to be so regarded; and

(b) in the case of a female member, her husband, her children, whether married or unmarried, her dependant parents and her husband's dependent parents and her deceased son's widow and children;

Provided that if a female member, by notice in writing to the Board, expresses her desire to exclude her husband from the family, the husband and his dependent parents shall no longer be deemed to be a part of the member's family for the purposes of these regulations, unless the member subsequently cancels, in writing any such notice.

Explanation—for the purposes of sub-clauses (a) and (b), if the child of a member or, as the case may be, the child of a deceased son of the member has been adopted by another person and if, under the personal law of the adopter, adoption is legally recognized, such a child shall be considered as excluded from the family of such member;

(j) "financial year" means the year commencing on the first day of April;

(k) "foreign service" means service on deputation terms with the Commission or with another employer with the approval of the Commission;

(l) "fund" means the Delhi Urban Art Commission Employees provident fund constituted under regulation 3;

(m) "member" means a member of the fund.

(2) All other words and expressions used herein and not defined in these regulations, but defined in the Act, shall have the meaning respectively assigned to them under the Act.

3. Constitution of fund.—(1) There shall be constituted a fund called the Delhi Urban Art Commission Employees Provident Fund.

(2) The contributions to the fund established under the Delhi Urban Art Commission Employees Contributory Provident Fund Regulations, 1980 by an employee who opts to become a member of the fund, shall stand transferred to the fund and the employer's contribution made under the said regulations shall be reverted to the Commission.

4. Board of Trustees.—(1) the fund shall vest in and be administered by a Board of trustees, consisting of the following persons, namely:—

(a) a Chairperson to be nominated by the Commission;

(b) two representatives of the Commission to be nominated from time to time by the Commission, one of whom shall be the Administrative Officers of the Commission ; and

(c) two representatives of the employees to be nominated by the Commission from amongst the members.

(2) The Administrative Officer of the Commission shall convene meetings, keep records thereof take necessary steps to ensure maintenance of accounts in accordance with the provisions of these regulations and also carry out the decisions of the Board.

(3) The Commission may fill up casual vacancies created by the death or resignation of a member or other causes.

5. Terms of office—(1) The term of office the Chairperson of the Board and other trustees shall be three years, commencing from the respective dates on which they are nominated as Chairperson or trustees, as the case may be.

(2) A trustee nominated to fill a casual vacancy shall hold office for the unexpired term of office of the trustee in whose place he is nominated.

(3) An outgoing trustee shall be eligible for re-nomination.

6. Assets of fund .—The fund shall consist of –

(i) contributions of the members;

(ii) balance transferred from any other provident fund where such transfers are permitted by these regulations;

(iii) interest or capital gains which may accrue on contributions and subscriptions and investments or bank deposits;

(iv) sums appropriated or forfeited to the fund under these regulations.

7. Meeting of Board.—(1) At every meeting of the Board the Chairperson shall normally preside and in his absence, the trustees shall elect one of their own members to preside over the meeting and person so elected shall have all the powers of the Chairperson at the meeting.

(2) No business shall be transacted at a meeting of the Board unless at least three trustees are present, of whom at least one shall be from among those nominated under each of clauses (b) and (c) of regulation 4.

(3) Every question considered at a meeting of the Board shall be decided by a majority of votes of the trustees present and voting, and in the event of equality of votes, the Chairperson shall have a casting vote.

8. Banking and investment of fund money.—(1) All moneys received on the fund account and not required for investment shall be deposited in the State Bank of India or any Scheduled bank as may be determined by the Board.

(2) Investments of all moneys belonging to the fund and not immediately required for making any payment to members in the form of loans or withdrawal and to the retiring members from the monthly accumulations of contributions shall be made in the approved Central ad State Government Securities.

(3) All expense incurred in administering the fund and all charges in respect of, and losses, if any, arising from investments shall be charged to the fund.

(4) The accounts of the fund shall be audited by the authority auditing the accounts of the Commission.

9. Membership of fund .—Every employee, who opts to become a member of the fund under these regulations shall be entitled to become a member of the fund within ninety days from the date on which these regulations come into force.

10. Member's contribution. — (1) Every member shall contribute monthly to the fund while on duty.

(2) The Amount of contribution shall be fixed at the commencement of the financial year by the member himself subject to the following conditions, namely :—

(a) it shall be expressed in whole rupee;

(b) it may be any sum so expressed at a rate not less than the amount decided by the Board from time to time;

(c) subject to the provisions of clause (b), a member may vary the rate of his contribution in whole rupee once at any time during the course of a financial year.

(3) A member, at his option, may not contribute during any period of leave, not being earned leave of less than thirty days duration by notifying such option through a written communication to the Board before the member proceeds on leave and failure to send such intimation shall be deemed to constitute an election to contribute.

11. Transfer from or to other funds— Where an employee leaves the service of the Commission to join another Government or semi-Government organization or an organization to which the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), is applicable or to an organization which maintains a provident fund recognized by the Commissioner of income tax, the amount of accumulation to the credit of such employee, if the employee so desires and the regulations in relation to the provident fund of such new employer permit such transfer, shall be transferred to the fund maintained by his new employer.

12. Interest— (1) The Board shall pay to the credit of the account of a member interest at such rate as the Board may, from time to time, specify for the payment of interest on a member's accumulation in the provident fund at a rate which shall not be higher than corresponding rate payable to the Central Government employees in respect of the General Provident Fund.

(2) Interest shall be credited with effect from the 31st March of each year in the following manner:—

(a) interest for twelve months on the amount at the credit of member on 31st March of the preceding year less any sums withdrawn by the member during the current year;

(b) interest on all sums credited to the member's account after the 31st March of the preceding year from the date of the deposit up to 31st March of the current year;

(c) interest on sums withdrawn during the current year from 1st April of the current year up to the last day of the month preceding the month of such withdrawal;

(d) the total amount of interest shall be rounded to the nearest rupee (fifty paisa and above) counting as the next higher rupee;

Provided that when the amount standing to the credit of member has become payable, interest shall thereupon be credited under these regulations in respect of the period from the beginning of the current year or from the date of deposit, as the case may be, up to the end of the month preceding the month in which the amount standing to the credit of the member becomes payable.

13. Annual statement- (1) As soon as possible after the 31st March of each year, the Board shall send to each member an annual statement showing the amount standing to his credit in the fund along with details regarding opening balance, deposits, withdrawals during the year and the interest credited, etc.

(2) The member shall satisfy as to the correctness of the annual statement and errors, if any , shall be brought to the notice of the Board within three months from the date of receipt of such annual statement.

14. Grant of advance- The Board may grant to a member on application a temporary advance, not exceeding three month' pay of half of the amount of the member's own contribution and interest thereon, whichever is less, subject to the following conditions, namely:—

(a) the Board is satisfied that the amount will be expended on one or more of the following objects-

(i) to pay expenses incurred in connection with illness of the member or any person actually dependent on him;

(ii) to pay expenses in connection with marriage, funeral or ceremonies which by religion of the employee it is incumbent upon him to perform;

(iii) to pay obligatory expense in connection with the funeral of any member of his family;

(iv) to meet the cost of higher education of his children beyond high school stage for technical, professional or vocational course provided that the duration of the course is not less than three years;

(v) to meet the cost of education outside India of his children for an academic, technical, professional or vocational course beyond high school stage;

(vi) to meet the cost of legal proceedings instituted by member for vindicating his position in regard to any allegation made against him in respect of any act done or purported to have been done by him in the discharge of his official duties.

NOTE 1: The advance granted under this sub-clause is available in addition to any advance admissible for the same purpose from the Commission.

NOTE 2: An advance under this sub-clause shall not be admissible to a member who institutes legal proceedings in any court of law either in respect of any matter unconnected with his official duties or against the Commission in respect of any condition of service or penalty;

(vii) to meet the cost of his defense where the member is prosecuted by the Commission in any court of law or where the member engages a legal practitioner to defend himself in an enquiry in respect of any alleged official misconduct on his part;

(b) no second advance shall be granted to any member until after the final repayment of the earlier advance together with interest thereon.

15. Recovery of advance—(1) A temporary advance granted under regulation 14, together with interest thereon, shall be recovered from the member in such number of monthly instalments as the Board may determine but such number shall not be less than twelve and shall not be more than twenty four.

(2) The Commission shall deduct such instalment from the employee's salary and pay them to the Board.

(3) The deduction shall commence from the issue of pay for the month following the one in which advance is drawn.

(4) The recovery shall not be made except with the member's consent while he is on leave or in receipt of subsistence grant.

(5) Recoveries made under these regulations shall be credited to the member's account in the fund.

(6) notwithstanding anything contained in these regulations, if the Board is satisfied that money drawn as an advance from the fund has been utilized for a purpose other than that for which the temporary advance was granted, it may require the member to repay the same, forfeit, or in default, may recover it in lump-sum from his emoluments even if he is on leave and if the amount to be recovered is more than half of the member's monthly emoluments, the recovery may be spread over two or more monthly instalments of half of the emoluments.

16. Withdrawals from fund.—Withdrawals by members may be granted by the Board in the following circumstances:—

(a) to pay expenses incurred in connection with the illness of the member or a member of his family;

(b) to meet the cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of any child of the member actually dependent on him in the following cases, namely:—

(i) education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the high school stage; and

(ii) any medical, engineering or other technical or specialized course in India beyond the high school stage, provided that the course of study is for a period not less than three years;

(c) to pay for the cost of passage to a place out of India of a member or any member of his family;

(d) to pay expenses in connection with marriages, funerals or ceremonies, which by the religion of the member it is incumbent upon him to perform;

(e) to meet the expenditure on building a house, or purchasing a site or a house and a site;

(f) to meet the cost of legal proceedings instituted by the member for vindicating his position in regard to any allegation made against him in respect of any act done or purported to have been done by him in the discharge of his official duty or to meet the cost of his defense when he is prosecuted by the employer in respect of any official misconduct on his part;

Provided that the withdrawal under this clause shall not be admissible to a member who institutes legal proceedings either in respect of any matter unconnected with his official duty or against the employer in respect of any condition of service or penalty imposed on him.

17. Conditions for withdrawal for various purposes.—(1) The withdrawal for the purposes specified in clause (e) of regulation 16 shall be subject to the following conditions, namely :—

(i) the amount of withdrawal shall not exceed one half of the amount standing to the member's credit or the actual cost of the house or site, whichever is less;

(ii) the member shall have completed twenty years of service or is due to retire within the next ten years;

(iii) the construction of the house is commenced within six months of the withdrawal and completed within one year from the date of the commencement of the construction;

(iv) if the withdrawal is made for the purchase of a house or a site for a house the purchase is made within six months of the withdrawal;

(v) if the withdrawal is made for the repayment of a loan previously raised for the purpose of construction or purchase of a house, the repayment of the loan is made within three months of the withdrawal;

(vi) where the withdrawal is for the construction of a house, it shall be granted in two or more equal instalments (not exceeding four) , later instalments being permitted only after verification by the Board about the actual utilization of the earlier withdrawal;

(vii) the withdrawal shall be granted only if the house or site is free from encumbrance and no withdrawal shall be permitted for purchasing a share in a joint property or building or house or land whose ownership is divided;

(viii) if the amount withdrawn exceeds the actual cost of the purchase or construction of the house or site, or if the amount is not utilized for the purpose for which it is withdrawn, the excess or the whole amount, as the case may be, shall be refunded to the Board forthwith in one lump together with interest from the month of regulation 12 and the amount refunded shall be credited to the member's account in the fund.

(2) The withdrawal for any other purpose referred to in regulation 16 shall not exceed three month's pay or one half of the accumulation standing to the member's credit, whichever is less.

(3) A member who has already drawn an advance may convert, at his discretion by a written request, the balance outstanding against him in to a final withdrawal on satisfying the conditions prescribed in these regulations.

18. Final withdrawal of accumulation—When a member quits the service, the amount standing to his credit in the fund shall become payable to him;

Provided that a member who has been dismissed from the service and is subsequently reinstated shall, if required to do so by the Commission, repay any amount paid to him from the fund in pursuance of these regulations with interest thereon;

Provided further that in case of transfer (including resignation) to take up new appointment in another Ministry or Department of the Central Government or the State Government, Public Sector Undertaking or Autonomous Body, the balance to his credit shall be transferred to his new account under the new body.

19. Retirement of member—When a member has proceeded on leave preparatory to retirement or while on leave has been permitted to retire or declared by medical authority to be unfit for further service, the amount standing to his credit and interest thereon shall, on application made by him in that behalf, become payable to the member.

20. Procedure on death of a member—(1) On the death of a member before the amount standing to his credit has become payable or where the amount has become payable but payment has not been made:

(a) Where the member leaves a family—

(i) if the nomination made in favour of a member or members of his family subsists, the amount standing to his credit in the fund or the part thereof to which nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination;

(ii) if no such nomination in favour of a member or members' of the family subsists, or if such nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the fund, the whole amount or the part thereof to which nomination does not relate shall become payable to the members of his family in equal shares;

Provided that no share shall be payable to—

(A) Sons who have attained twenty-five years of age;

(B) Grandsons who have attained twenty-five years of age;

(C) Married daughters whose husbands are alive;

(D) married daughters of a deceased son whose husband are alive; and

(E) if there is any member of the family other than those specified in items (A), (B), (C) and (D);

Provided further that the widow or widows and the children of a deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son would have received if he had survived the member and had been exempted from the provisions of item (A) of the first proviso.

NOTE: Any sum payable under these regulations to a member of the family vests in such member under sub-section (2) of section 3 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925);

(b) when the member leaves no family, if a nomination made by him, in accordance with the provisions of regulation 21, in favour of any person or persons, subsists, the amount standing to his credit in the fund or the part thereof to which the nomination relates shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

NOTE: When a member leaves no family and no nomination made by him in accordance with regulation 21, subsists, or if such nomination relates only to part of the amount standing to his credit in the fund, the relevant provision of clause (b) and sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 4 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), shall be applicable to the whole or part of the amount to which the nomination does not relate.

21. Nominations.— (1) A member shall at the time of joining the fund send to the Board, a nomination conferring one or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit in the fund in the event of his death occurring before that amount has become payable or having become payable has not been paid;

Provided that if, at the time of making the nomination, the member has a family, the nomination shall not be in favour of any person or persons other than the member of his family.

(2) If a member nominates more than one person, he shall specify in the nomination the amount or share payable to each of the nominees in such a manner as to cover the whole of the amount that may stand to his credit in the fund at any time.

(3) Every nomination shall be in such form as set out in the Schedule annexed to these regulations.

(4) A member may at any time cancel a nomination by tendering a notice in writing to the Board along with a fresh nomination made in accordance with the provisions of these regulations .

(5) A member may provide in a nomination—

(a) that in respect of any specified nominee in the event of his pre-deceasing the member, the right conferred unto that nominee shall pass to such other member of his family as may be specified in the nomination and if there be no other member of his family, to such other person or persons as may be specified in the nomination;

(b) That the nomination shall become invalid in the event of the happening of a contingency specified therein;

Provided that if at the time of making the nomination, the member has only one member of the family, he shall provide in the nomination that the right conferred upon the alternate nominee under clause (a) shall become invalid in the event of his subsequently acquiring other member or members in his family.

(6) Immediately on the death of a nominee in respect of whom no special provision has been made in the nomination or on the occurrence of any event by reason of which the nomination becomes invalid, the member shall send to the Board a notice in writing canceling the nomination together with a fresh nomination made in accordance with the provisions of these regulations.

(7) Every nomination made and every notice of cancellation given by a member shall, to the extent that it is valid, take effect on the date on which it is received by the Board.

22. Members' account.—An account shall be maintained by the Board of each member and it shall include the particulars set out in the Schedule annexed to these regulations.

RUBY KAUSHAL
Secretary

SCHEDULE

FORM OF NOMINATION

[Regulation 21(3)]

(When the subscriber has a family and wishes to nominate one member thereof.)

I, (Name of the member) hereby nominate the person(s)mentioned below, who is/are members(s) of my family as defined in clause (i) of regulation 2, of the Delhi Urban Art Commission Employees Provident Fund Regulations, 2020, to receive the amount that stand to my credit in the fund in the event of my death before that amount has become payable or having become payable has not been paid :—

S.No. (1)	Name of the Nominee and Address (2)	Relationship with the Member (3)	Percentage Share of the Nominee (4)

Date:

Signature of the member

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

SUBIR NARAYAN GARAI Digitally signed by SUBIR NARAYAN GARAI Date: 2020.03.30 16:52:31 +05'30'